

भारत सरकार
महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृहमंत्रालय)

ब्लाक न0 13, के0 का0 परिसर
लोधी रोड, नईदिल्ली- 110003

पत्रांक:ई-32021(1)/1/भर्ती/Sports-2025/2025/ 1230
सेवा में

दिनांक 19 मई, 2025

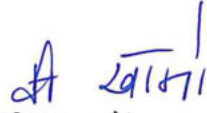
1. The Director, Employment,
Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat,
Himachal Pradesh, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala, Karnataka,
Lakshadweep, Meghalaya, Maharashtra, Manipur, Madhya Pradesh,
Nagaland, Orissa, Punjab, Pondicherry, Rajasthan, Sikkim,
Tamilnadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal & Leh & Laddakh.
2. The Administrator, Dadra & Nagar Haveli
3. The Home Secretary, Chandigarh, Sector-9, Chandigarh
4. The Labour Commissioner, A & N Island & Uttarakhand
5. The Development Commissioner, Daman & Diu
6. Employment & Training Department, Govt. of Jharkhand, Ranchi,
Jharkhand
7. Department of Labour & Employment, Arunachal Pradesh & Mizorm

**Subject : RECRUITMENT OF MERITORIOUS SPORTSMEN & WOMEN FOR THE
POST OF HC/GD AGAINST SPORTS QUOTA – 2025 IN CISF: REG.**

I am directed to forward a copy of notification published in the Employment News dated 17.05.2025 – 23.05.2025 for the recruitment of meritorious sportsmen & Women for the post of HC/GD against Sports Quota – 2025 in CISF for wide publicity amongst the eligible youths.

2. The closing date for receiving of applications is **06.06.2025**.

सलग्न: यथोपरोक्त


(वी0 खामो)
उप महानिरीक्षक/भर्ती



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

NOTICE

RECRUITMENT OF MERITORIOUS SPORTSMEN AND WOMEN TO THE POST OF HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2025 IN CISF

Dates of submission of online applications: 18/05/2025 to 06/06/2025

Closing date : 06/06/2025 (upto 23:59 Hrs)

Online applications are invited from eligible **Male & Female Indian citizens** for filling up **403** vacancies of **HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2025** in Central Industrial Security Force in the **Pay Level-4 (Rs.25,500-81,100/)** plus usual allowances as admissible to the Central Government employees from time to time. On their appointment, they shall be governed under CISF Act and Rules as well as Central Civil Services Rules applicable to other members of the Force from time to time. They shall be entitled for the pensionary benefits as per the **“Defined Contributory Pension system known as the National Pension System”** applicable to all employees joining service of Central Government on or after 1st January 2004. The recruitment process will consist of Trial Test, Proficiency Test, Physical Standard Test (PST), Documentation and Medical Examination. The salient features of the recruitment are as under:-

1.1 Applications will be accepted through **“Online”** mode only.

1.2 The recruitment shall have following two stages:-

1. **1st stage:**

- a) Trial Test
- b) Proficiency Test
- c) Physical Standard Test (PST) &
- d) Documentation

2. **2nd stage**

Medical Examination

1.3 Verification of required eligibility certificates / documents including Sports Certificate with the originals will be carried out at the time of Documentation.

1.4 Vacancies of Head Constable (General Duty) against Sports Quota will be filled on all India basis.

1.5 Final result will be declared on the basis of marks secured by the candidates during the course of Proficiency Test and the marks accorded to the candidate having meritorious certificate/achievement in the respective sports events subject to their qualifying the Trial Test, Proficiency Test, Physical Standard Test (PST), Documentation, Medical Examination and other conditions stipulated in this Notification.

1.6 The call-up letter / Admit Card for all stages of recruitment will be issued to the candidates through **online mode only** at CISF Recruitment website <https://cisfrectt.cisf.gov.in/> with facility to download the same and **will not be sent by post**. Candidates are therefore advised to regularly visit the CISF Recruitment website for any update on the recruitment process. Candidates are required to bring the same while attending the test.

2. **Pay Scale** : Pay Level-4 (Rs.25,500-81,100)

3. **Nationality/ Citizenship** : Candidate must be a citizen of India.

4. **Vacancies** :- The discipline wise details of vacancies are as under:-

Sl No	Discipline/ Specialty	Men Vacancy		Women Vacancy	
		Event/Discipline/Weight Category		Event/Discipline / Weight Category	
1.	Wushu	Over 48 KG up to & Including 52 KG	01	Over 45 KG up to & Including 48 KG	01
		Over 52 KG up to & Including 56 KG	01	Over 48 KG up to & Including 52 KG	01
		Over 56 KG up to & Including 60 KG	01	Over 52 KG up to & Including 56 KG	01
		Over 60 KG up to & Including 65 KG	01	Over 56 KG up to & Including 60 KG	01
		Over 65 KG up to & Including 70 KG	01	Over 60 KG up to & Including 65 KG	01
		Over 70 KG up to & Including 75 KG	01		
		Total	06	Total	05
2.	Taekwondo	68 Kg	01	Up to & Including 46 KG	01
		Above 87 Kg	01	Over 46 KG up to & Including 49 KG	01
				Over 49 KG up to & Including 53 KG	01
				Over 53 KG up to & Including 57 KG	01
				Over 57 KG up to & Including 62 KG	01
				Over 62 KG up to & Including 67 KG	01
		Total	02	Total	06

3.	Karate	i) Individual Kata	02	i) Individual Kata	01
		ii) Individual Kumite:-		ii) Individual Kumite:-	
		Kumite – 55 KG	01	Kumite – 50 KG	01
		Kumite – 60 KG	01	Kumite – 55 KG	01
		Kumite – 67 KG	01	Kumite – 61 KG	01
		Kumite – 75 KG	01	Kumite – 68 KG	01
		Kumite – 84 KG	01	Kumite – +68 KG	01
		Kumite – +84 KG	01		
		Total	08	Total	06
4.	Pencak Silat	Trending – Fighting Event		Trending – Fighting Event	
		Class A 45 KG up to 50 KG	01	Class A 45 KG up to 50 KG	01
		Class B 50 KG up to 55 KG	01	Class B 50 KG up to 55 KG	01
		Class C 55 KG up to 60 KG	01	Class C 55 KG up to 60 KG	01
		Class D 60 KG up to 65 KG	01	Class D 60 KG up to 65 KG	01
		Class E 65 KG up to 70 KG	01	Class E 65 KG up to 70 KG	01
		Class F 70 KG up to 75 KG	01	Tunggal – Single Artistic Event	01
		Class G 75 KG up to 80 KG	01	Ganda – Twin Artistic Event	01
		Tunggal – Single Artistic Event	01	Regu- 3 – Person Artistic Event	01
		Ganda – Twin Artistic Event	01		
		Regu- 3 – Person Artistic Event	01		
		Total	10	Total	08
5.	Archery	Recurve	03	Recurve	03
		Compound	03	Compound	03
		Indian Round	02	Indian Round	02
		Total	08	Total	08
6.	Kayaking	K – 1 – 200 Mtr	01	K – 1 – 200 Mtr	01
		K – 2 – 200 Mtr	01	K – 2 – 200 Mtr	01
		K – 1 – 500 Mtr	01	K – 1 – 500 Mtr	01
		K – 2 – 500 Mtr	01	K – 2 – 500 Mtr	01
		K – 1 – 1000 Mtr	01	K – 1 – 1000 Mtr	01
		K – 2 – 1000 Mtr	01	K – 2 – 1000 Mtr	01
		Total	06	Total	06
7.	Canoeing	C – 1 – 200 Mtr	01	C – 1 – 200 Mtr	01
		C – 2 – 200 Mtr	01	C – 2 – 200 Mtr	01
		C – 1 – 500 Mtr	01	C – 1 – 500 Mtr	01
		C – 2 – 500 Mtr	01	C – 2 – 500 Mtr	01
		C – 1 – 1000 Mtr	01	C – 1 – 1000 Mtr	01
		C – 2 – 1000 Mtr	01	C – 2 – 1000 Mtr	01
		Total	06	Total	06
8.	Rowing	Single Scull – 500 Mtr	01	Single Scull – 500 Mtr	01
		Coxless Pair – 500 Mtr	02	Coxless Pair – 500 Mtr	02
		Single Scull – 2000 Mtr	01	Single Scull – 2000 Mtr	01
		Coxless Pair – 2000 Mtr	02	Coxless Pair – 2000 Mtr	02
		Total	06	Total	06
9.	Football	Team Event	09	Team Event	20
10.	Handball	Team Event	05	Team Event	10

11.	Gymnastics	Team Event	06	Team Event	08
12.	Fencing	Foil	01	Foil	01
		Epee	01	Epee	01
		Sabre	01	Sabre	01
		Team Event	01	Team Event	01
		Total	04	Total	04
13.	Kho- Kho	Team Event	12	Team Event	12
14.	Swimming/ Aquatics	200 Mtr Free Style	01	200 Mtr Free Style	01
		1500 Mtr Free Style	01	400 Mtr Free Style	01
		100 Mtr Butterfly	01	800 Mtr Free Style	01
		50 Mtr Breast Stroke	01	1500 Mtr Free Style	01
		100 Mtr Breast Stroke	01	50 Mtr Butterfly	01
		100 Mtr Back Stroke	02	100 Mtr Butterfly	01
				200 Mtr Butterfly	01
				400 Mtr Individual Medley	01
				200 Mtr Breast Stroke	01
				200 Mtr Back Stroke	01
		Total	07	Total	10
15.	Volleyball	Team Event	03	Team Event	14
16.	SepakTakraw	Team Event	04	Team Event	04
17.	Basket ball	Team Event	08	Team Event	12
18.	Tennis	Team Event	04	Team Event	04
19.	Badminton	Team Event	04	Team Event	04
20.	Cycling	Team Event	04	Team Event	04
21.	Athletics	200 Mtr	01	100 Mtr	01
		400 Mtr	02	200 Mtr	01
		1500 Mtr	02	800 Mtr	03
		5000 Mtr	03	1500 Mtr	03
		10000 Mtr	03	5000 Mtr	02
		400 Mtr Hurdles	02	10000 Mtr	02
		3000 Mtr Steeplechase	01	100 Mtr Hurdles	02
		Marathon (42.195 Km)	03	400 Mr Hurdles	03
		20 Km Walk	03	3000 Mtr Steeplechase	03
		4 x 100 mtr Relay	01	Shotput	01
		Shotput	01	Hammer Throw	01
		Discuss Throw	02	High Jump	01
		Javelin Throw	01	Triple Jump	02
		Long Jump	02	Heptathlon	03
		Triple Jump	01		
		Pole Vault	01		
		Decathlon	01		
		Total	30	Total	28
22	Boxing	50 Kg	01	48 Kg	01
		80 Kg	01	57 Kg	01
		85 Kg	01	80 Kg	01
		Total	03	Total	03

23	Hockey	Team Event	07		
24	Shooting	Individual Event (Rifle)	01	Individual Event (Rifle)	02
25	Judo	66 Kg	01	63 Kg	01
		Above 100 Kg	01		
		Total	02	Total	01
26	Kabaddi	Team Event	06		
27	Weightlifting	61 kg	02	59 Kg	02
		73 Kg	01	71 Kg	01
		81 Kg	01	76 Kg	01
		89 Kg	01		
		109 Kg	01		
		Above 109 Kg	02		
		Total	08	Total	04
28	Wrestling	57 Kg (Free Style)	01	50 KG (Free Style)	01
		61 Kg (Free Style)	01	59 KG (Free Style)	02
		79 Kg (Free Style)	01	76 KG (Free Style)	01
		92 Kg (Free Style)	01		
		97 Kg (Free Style)	01		
		55 Kg (Greco Roman)	02		
		60 Kg (Greco Roman)	01		
		63 Kg (Greco Roman)	01		
		82 Kg (Greco Roman)	01		
		87 Kg (Greco Roman)	01		
		130 Kg (Greco Roman)	02		
		Total	13	Total	04
29	Body Building	55 Kg	01		
		60 Kg	02		
		65 Kg	02		
		70 Kg	02		
		75 Kg	01		
		80 Kg	01		
		90 Kg	01		
		100 Kg	01		
		Above 100 Kg	01		
		Total	12		
		G. Total	204	G.Total	199

4.1 The number of vacancies in each event shown above are tentative and may increase or decrease at any time/any stage of recruitment process, due to administrative reasons. The revision in vacancies, if any, will be notified at any stage prior to declaration of final result by displaying the same on CISF recruitment website i.e. <https://cisfrectt.cisf.gov.in/>.

4.2 Candidates selected for appointment are liable to serve anywhere in Indian Territory and abroad.

- 4.3 **Candidates are advised to submit his/her application for one discipline only. If the candidate submits multiple applications for one/more disciplines, only the first application in single discipline will be processed further.**
- 4.4 While filling up online application form (**Annexure-I & II**), candidates must ensure to fill the correct identity Card Number in his/her application (i.e. AADHAR Number, Driving License, Voter ID Card, Identity Card issued by University/College or Income Tax Pan Card Number). The same will be produced at the examination centre during each stage of recruitment. Biometric data of candidates will be recorded during the 01st stage of recruitment and will be utilized at subsequent stages of recruitment for verifying candidate's identity.
- 4.5 **Candidates should bring all their original educational/caste/Sports certificates and other testimonials at the time of Trial Test, Proficiency Test, PST and Documentation for proper checking/scrutiny. If any candidate fails to submit any requisite document in support of his/her eligibility, his/her candidature will be rejected straightaway and no appeal will be accepted against his/her rejection for conducting documentation on any other day and they will not be allowed to participate in further process of recruitment.**
- 4.6 The posts are combatised and purely temporary in nature but likely to become permanent.
- 4.7 Caste certificates having the following details in respect of reserved category candidates may be accepted as per prescribed proforma :-
a) Name of candidate, Father's name, locality/village/town from where they belong.
b) Certificate issued by the appropriate/prescribed authority.
c) Authority of Govt. of India resolution is correctly mentioned in caste certificate which justifies that claim of individual against reserved category is genuine.
d) Caste as mentioned in the caste certificate of the individual is included in the central list as notified by Central Government for that category.
- 4.8 **The recruitment is only for meritorious sportspersons who are either medal winner/position and/or participants as per Para-6.3.**

5. **Salient features :**

- 5.1 Applications must be submitted in online mode only at the official website of CISF i.e. <https://cisfrectt.cisf.gov.in/> No other mode of submission of application is allowed.
- 5.2 **Application fee @ Rs.100/-** from UR, OBC and EWS candidates will be charged. Female candidates and those candidates belonging to Scheduled

Caste and Scheduled Tribe categories are exempted from paying application fee. **All such candidates must submit requisite certificate in prescribed proforma issued by the competent authority to prove their status. Candidates are cautioned that their candidature will be cancelled forthwith in case claim of SC/ST/OBC/EWS status or avail any other benefit is made fraudulently at any subsequent stage.**

- 5.3 The provisional selected list/final select list etc. will be displayed on CISF Recruitment website <https://cisfrectt.cisf.gov.in/>.
- 5.4 Inclusion of name in provisional selected list does not guarantee selection.
- 5.5 Adequate measures and modern means at different stages will be carried out in order to ensure a smooth, transparent and fair recruitment process.

6. **Eligibility Criteria**

6.1 **Educational Qualification:**

12th pass from a recognised educational Institution with credit of representing State / National / International in games, Sports and Athletics.

(Educational certificate other than State Board/Central Board should be accompanied with Government of India notifications declaring that such qualification is equivalent to 12th class pass for service under Central Government).

- 6.2 **Age Limit** : Between 18 to 23 years as on **01.08.2025**. Candidates should not have been born earlier than **02/08/2002** and later than **01/08/2007**.
- 6.2.1. Permissible relaxation in upper age limit for different categories are as under:-

Sl. No.	Category	Age relaxation permissible beyond the upper age limit
i)	Scheduled Caste / Tribe	Upto 5 years in upper age limit.
ii)	Other Backward Class	Upto 3 years in upper age limit.

- 6.2.2 Departmental candidates who have rendered at least 3 years of continuous service under central Government - **Maximum age limit 45 years for SC/ST and 40 years for Gen/EWS/OBC.**

6.3 **Participation in Sports events :-**

Sports qualification	For the post of Head Constable/GD under Sports Quota
Individual Event	i) Should have represented the country as a member of Senior/Junior International tournament Or ii) Should have represented a State or equivalent unit, in National Games/ National Championship in Senior /Junior level Or

	iii) Any medal in all India Inter University Championship Or iv) Gold Medal in National School Games/Championship.
Team Event	i) Should have represented the country as a member of Senior/Junior International tournament Or ii) Should have represented in State team or equivalent unit, in National Games/Championship in Senior/Junior level Or iii) Member of medal winning team in All India Inter-University Championship Or iv) Gold Medal in National School Games/ Championship. <u>Note:</u> The person should have been the playing member of the team.

6.3.1 Note :

Candidates who have not acquired the essential qualification as on closing date for receipt of the Application Form, will not be eligible and need not apply.

6.3.2 Only those meritorious Sportsmen/Sportswomen who fulfil the above eligibility criteria and have participated in the relevant games/championships during the period from 01/01/2023 to 06/06/2025 will be eligible for applying for the post.

6.3.3 An application should be considered in light of the evidence which the applicant may furnish of his/her having represented in any one of the Competition / Tournament / Games.

6.3.4 The Championships / Games conducted by the following authority will be considered:-

- International tournaments approved by Ministry of Youth Affairs and Sports.
- Senior/Junior level national Championships organised by the National Sports Federations recognised by Department of Youth Affairs & Sports or National Games organised by Indian Olympic Association.
- Inter-University competition conducted by Association of Indian Universities/Inter University Sports Board.
- National sports/games for schools conducted by the All India School Games Federation.

6.3.5 In addition to Sports Certificate, the Certificate (Form) issued on the prescribed format under the signature of following authorities are also required.

S.No.	Competition	Authority awarding certificate	Specimen
1.	International Competition	Secretary of the National Federation of the Game concerned	APPENDIX - "A"
2.	National Competition	Secretary of the National Federation or Secretary of the	APPENDIX - "B"

		State Association of the Game concerned.	
3.	Inter-University Tournaments	Dean of Sports or other officer in overall charge of sports of the University concerned.	APPENDIX - "C"
4.	National Sports/ Games for Schools	Director or Additional /Joint or Deputy Director in overall charge of Sports/ Games for Schools in the Directorate of Public Instructions/ Education of the State.	APPENDIX - "D"

6.3.6 Certificates (Forms) issued by the recognised federations/associations on the basis of actual participation and achievement in the National Level Competitions may be given the weightage in addition to the certificates issued by the above authorities.

6.3.7 In case, the post of Secretary is not available in National Federation / National Association / State Association, the Certificates (Forms) signed by Senior functionaries and holding position Senior/equivalent to the Secretary in the respective Sports Federations / Associations will be accepted for considering the eligibility of meritorious Sportspersons for recruitment.

6.4. **Physical Standards :**

Male candidates :-

- Height (For UR, SC, EWS and OBC candidates except those mentioned in para No.6.4.1) – 167 Cms
- Chest (For UR, SC, EWS and OBC candidates except those mentioned in para No.6.4.1) – 81-86 Cms (Minimum expansion of 5 Cms.)

Female candidates :-

- Height (For UR, SC, EWS and OBC candidates except those mentioned in para No.6.4.1) – 153 Cms.
- Chest - There shall be no minimum requirement of chest measurement for female candidates.

6.4.1. Permissible relaxation in Physical Standards for different categories of candidates are as under :-

Sl. No.	Relaxation for	Height		Chest	
		Male	Female	Male	Female
i)	Candidates hailing from hill areas i.e. Garhwalis, Kumaonese, Dogras, Marathas, *Gorkhas and Adivasis subject to production of certificate as per Annexure-“VI” .	160 Cms	153 Cms	81-86 Cms (Minimum expansion 5 Cms)	Not applicable

	The above standards will be applicable for all categories i.e. UR, EWS, OBC & SC.				
	* Candidates hailing from Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Divisions of Darjeeling District namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Division of these Districts : (1) Lohagarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) ChotaAdalpur (7) Paharu (8) Sukna Forest (9) Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-I (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) SalbariChhat Part-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) ChhotaChenga (18) Nipania				
ii)	All candidates belonging to Scheduled Tribes	160 Cms	153 Cms	81-86 Cms (Minimum expansion of 5 Cms)	Not applicable

6.5 **Weight** :- Proportionate to height and age as per medical standards. Weight will be recorded at the time of physical measurements but the decision on fitness on account of weight will be taken at the time of medical examination.

6.6 **Medical Standards**: - The shortlisted candidates will be medically examined by the Medical Boards to assess their physical and medical fitness. The candidates have to meet the medical standards as prescribed in the Uniform Guidelines for recruitment Medical Examination for GOs and NGOs in CAPFs and ARs issued vide MHA UO No.A.VI-1/2014-Rectt(SSB) dated 20.05.2015 and MHA OM No.E-32012/ADG(Med)/ DME & RME/DA-1/2020(Part File)/1166 dated 31.05.2021 and other instructions issued by the Government from time to time.

6.6.1 The candidate must not have knock knee, flat foot, bow legs, squint eyes, inability to close the left eye, inability to flex the fingers often, varicose vein and any other obvious deformities and should bear good mental health.

6.6.2 **Tattoo**: Following criteria has been fixed to determine permissibility of Tattoo:

(a) **Content**: Being a secular country, the religious sentiments of our countrymen are to be respected and thus, tattoos depicting religious symbol or figures and the name, as followed in Indian Army are to be permitted.

(b) **Location**: Tattoos marked on traditional sites of the body like inner aspect of fore arm, but only left forearm, being non saluting limb or dorsum of the hands are to be allowed.

(c) **Size**: Size must be less than $\frac{1}{4}$ of the particular part (Elbow or Hand) of the body.

Note-I Candidates who have not acquired the essential educational qualification as on **06.06.2025** will not be eligible and need not apply.

Note-II Candidates should note that only the Date of Birth and Name as recorded in the Matriculation/ Secondary School Examination Certificate or an equivalent certificate will be accepted for determining the age and name. No subsequent request for any change in the Date of Birth or Name will be considered.

7. Process of Certification and format of certificate :-

7.1 Candidates claiming age relaxation on basis of OBC status must ensure that he/she possess the caste/community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date. The crucial date for this process will be the closing date for receipt of application i.e. **06.06.2025**. Candidate may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned documents is verified by the Appointing Authority.

7.2 Candidate who wish to seek age relaxation must submit requisite certificate from the competent authority in the prescribed format as per **Annexure – ‘III’ & ‘IV’** as the case may be. Otherwise their claim for SC/ST/OBC status will not be entertained.

7.3 For candidates belonging to EWS category, he/she should produce Income and Asset Certificate as per **Annexure - ‘V’** issued by the competent authority. The crucial date for submitting Income and Asset Certificate will be the closing date for receipt of application i.e. **06.06.2025**. Candidates may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned document is verified by the Appointing Authority.

7.4 Candidates are cautioned that their candidature will be cancelled forthwith in case claim of SC/ST/OBC/EWS status or avail any other benefit is made fraudulently at any subsequent stage.

8. How to apply :-

8.1 Applications must be submitted in **online mode only** at the official website of CISF i.e. <https://cisfrectt.cisf.gov.in/>. For detailed instructions, please refer to **Annexure-I & II** of this Notification. No other mode of submission of application is allowed.

8.2 Jurisdiction of each Regional Recruitment Centre as per sports discipline wise is mentioned below:-

SI No	Discipline	Name of Regional Recruitment Centre to whom application should be sent
1.	Wushu	DIG, CISF (North East Zone) HQrs., Beharbari, Near A.G.Colony, Hockey Stadium Road, Post -Basistha, Dist - Kamrup, Assam - 781029. (E-mail Id : dignez@cisf.gov.in)
2.	Taekwondo	
3.	Karate	
4.	Pencak Silat	
5.	Archery	Dy. Inspector General, CISF (North Zone) HQrs., CISF campus, Mahipalpur, Post-Mahipalpur, New Delhi-110037. (E-mail Id : dignz@cisf.gov.in)
6.	Kayaking	
7.	Canoeing	
8.	Rowing	
9.	Football	Dy. Inspector General, CISF (South Zone) HQrs., 'D' Block, Rajaji Bhavan, Besant Nagar, Chennai, State : Tamil Nadu – 600090 (E-mail Id : digsz@cisf.gov.in)
10.	Handball	
11.	Gymnastics	
12.	Fencing	
13.	Kho- Kho	Dy. Inspector General, CISF (Central Zone) HQrs., Bhilai, 03rd RB Campus, Post-Utai, Dist-Durg, State : Chhatisgarh,-491107. (E-mail Id : digcz@cisf.gov.in)
14.	Volleyball	
15.	SepakTakraw	
16.	Basket ball	
17.	Tennis	Dy. Inspector General, CISF RRC NCR Zone HQrs., CISF 5th RB Battalion, Ghaziabad, Post-Shipra Sun City, Dist-Ghaziabad, State : Uttar Pradesh-201014.(E-mail Id : rrc-ncrzone@cisf.gov.in)
18.	Badminton	
19.	Cycling	
20.	Athletics	
21.	Boxing	Dy. Inspector General, CISF (North East Zone-II) HQrs., Premises No.553, East Kolkata Township (Kasba), Kolkata, State : West Bengal - 107. (E-mail Id : dig-sez@cisf.gov.in)
22.	Hockey	
23.	Shooting	
24.	Judo	
25.	Kabaddi	Dy. Inspector General, CISF (West Zone) HQrs., CISF Complex, Sector-35, Kharghar, Navi Mumbai, State – Maharashtra – 410 210. (E-mail Id : digwz@cisf.gov.in)
26.	Swimming/ Aquatics	
27.	Weightlifting	Sr. Commandant, CISF 2nd Reserve Battalion, Post : Dhurwa, Dist : Ranchi, State : Jharkhand -834004. (E-mail Id : rb-2nd@cisf.gov.in)
28.	Wrestling	
29.	Body Building	

8.3 In the online Application Form, candidates are required to upload the following documents :-

- **Uploading of Photograph** - Recent scanned colour passport size photograph duly printed with date of photograph (**i.e. should not be more than 3 months old from the date of publication of Notification of this exam**) in JPEG format (20 KB to 50KB) . Scanned colour passport size photograph to be uploaded in JPEG format (20-50 KB) in the online form of the examination. Image dimension of the photograph should be about 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible. **The date on which the photograph has been taken should be clearly**

printed on the photograph. Applications without the date printed on photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.

- **Uploading of Signature** - Scanned signature in JPEG format (10 KB to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height). **Applications with illegible signature will be rejected.**
- **Uploading of documents** – Candidate is required to upload the scanned copies of supporting documents only with regard to his/her age and educational qualification (12th pass certificate or equivalent certificate) **in PDF format (not more than 01 MB).**

- 8.4 Last date and time of submission of online applications is **06.06.2025 (23:59 hrs)**
- 8.5 **Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection/ inability or failure to login to the website on account of heavy load on the website during the days preceding the closing date.**
- 8.6 Before submission of the online application, candidates must check that they have filled correct details in each field of the form. **After submission of the online application form, no change/ correction/ modification will be allowed under any circumstances.** Requests received in this regard in any form like post, fax, e-mail, by hand, etc will not be entertained.
- 8.7 The candidates must have their own personal e-mail ID and mobile number and the same be furnished in the online Application Form, should be active since important information relating to recruitment may be given to them through SMS or email.

9. Application Fee :

- 9.1 Fee payable: Rs.100/- (Rupees one hundred only).
- 9.2 Female candidates and those candidates belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) categories are exempted from payment of application fee.
- 9.3 Fee can be paid online through Net Banking, by using Credit or Debit or Rupay cards and UPI or through cash in SBI Branches by generating SBI Challan. Fee paid by modes other than as stated above, will not be accepted.
- 9.4 Online fee can be paid by the candidates upto **06.06.2025 (23:59 hours)**. However, candidates who wish to make the cash payment through challan of SBI, may make the payment in cash at the Branches of SBI within the working hours of the bank upto **07/06/2025** provided the challan has been generated by them before **06/06/2025 (23:59 hours)**.

- 9.5 Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor will it be adjusted against any other examination or selection.
- 9.6 In case of non-receipt of requisite application fee from candidates (except exempted category) their application will be straight way rejected.
- 9.7 Tariff/Taxes charges will be borne by the candidate in addition to fees as applicable for Bank.
- 9.8 Fees paid before **18/05/2025** i.e. opening date of online application form would not be accepted.

10. **Admission to the Recruitment :**

- 10.1. All candidates who register themselves in response to this advertisement by the closing date and time and whose applications are provisionally accepted and found to be in order as per the terms and conditions of this Notification, will be assigned Roll numbers and issued with Admit Card for appearing in the Trial Test/Proficiency Test/PST and Documentation. Subsequently, qualified candidates will be issued Admit Cards for the next stage of the Recruitment (i.e. Medical Examination).
- 10.2 The department will undertake detailed scrutiny of applications for eligibility and other aspects at the time of Trial Test/Proficiency Test/PST and Documentation. As such, candidature will be accepted only provisionally. The candidates must go through the requirement of educational qualification, age, physical and medical standards etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post. If any claim made in the application is not found substantiated during the entire recruitment process, the candidature will be cancelled.
- 10.3 Candidates must write Registration Number, registered E-mail ID and Mobile Number along with name, date of birth and name of the recruitment, while addressing any communication. Communication from the candidate not furnishing these particulars shall not be entertained.
- 10.4 10 days before the Trial Test/Proficiency Test/PST/Documentation and Medical Examination, candidate can download their admit card from CISF Recruitment website <https://cisfrectt.cisf.gov.in/> and must bring printout of the Admit Card to the assigned recruitment centre.
- 10.5 In case candidates are unable to download Admit Cards from the website, candidates should contact CISF helpline 011-24366431 / 24307933 at least one week before the Trial Test/Proficiency Test/PST and Documentation or Medical Examination.
- 10.6 In addition to the Admit Card, it is mandatory to carry four passport size recent colour photographs duly printed the date of photograph (**i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification**), original valid Photo-ID proof duly printed the date of birth such as Aadhaar Card/Printout of E-Aadhaar, Voter's ID Card, Driving

License, PAN Card, Passport, ID Card issued by University/College/School, Employer ID Card (Govt./PSU), Any other photo bearing ID card issued by the Central/ State Government.

- 10.7 If the Photo Identity Card does not have the date of birth printed on it then the candidate must carry an additional original document (e.g. Matriculation Certificate, Marks Sheets issued only by CBSE/ICSE/State Boards, Birth Certificate) as proof of his date of birth. In case of mismatch in the date of birth mentioned in the Admit card and photo ID/Certificate brought in support of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the recruitment process.
- 10.8 Any other document mentioned in the Admit Card shall also be produced by the candidates while appearing in subsequent stage.
- 10.9 Applications with blurred photograph / without date on photograph / signature will be rejected.

11. **Recruitment process :**

The different stages of recruitment shall be conducted as per the following sequence:-

1st stage :

- a) Trial Test
- b) Proficiency Test
- c) Physical Standard Test (PST) &
- d) Documentation

2nd stage :

Medical Examination.

All candidates who register themselves in response to this advertisement by the closing date and time and whose applications are provisionally accepted and found to be in order will be called for the 1st stage of recruitment. Trial Test / Proficiency Test / Physical Standard Test (PST) and Documentation will be conducted at various centres. Therefore, it will be the responsibility of the candidates to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing the examination.

11.1 **TRIAL TEST :-**

- 11.1.1 Immediately on reporting of candidates at the Recruitment Centre, the Recruitment Board will verify the identity of candidates from the photograph and signature available in admit card as well as from photo bearing IDENTITY PROOF such as Aadhaar Card, Voter Card, Driving License, PAN Card, Passport, ID Card issued by University/College/School etc.
- 11.1.2 If photo & signature available in admit card/online application form are not matched, the reasons for the same may be obtained from the individual.

- 11.1.3 To obviate impersonation during recruitment, bio-metric (LTI) registration of the candidates shall be taken. Bio-metric registration shall be used at subsequent stages of the recruitment to verify the identity of the candidate i.e. Medical Examination and at the time of joining at the RTCs.
- 11.1.4 All successful candidates will undergo Trial Test of 20 marks in the sports event to which he/she belongs. Trial Test will be qualifying in nature.
- 11.1.5 Though the Trial Test is qualifying in nature and merit will be drawn on the basis of marks scored by the candidates in Proficiency Test, however the minimum cut off marks in Trial Test for all events will be 10 marks.
- 11.1.6 Candidates who do not secure minimum cut off marks in Trial Test will be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip intimating reasons thereof by the Recruitment Board.
- 11.1.7 Appeal for re-conduct of Trial Test will not be entertained.

11.2 **PROFICIENCY TEST :**

All the candidates declared qualified in Trial Test will undergo Proficiency Test of 40 marks in the sports event to which he/she has applied. The minimum cut off marks in Proficiency Test for all events will be 20 marks, to be secured by candidates.

- 11.2.1 Candidates who do not secure minimum qualifying marks in Proficiency Test will be rejected by giving rejection slip intimating reasons thereof by the Recruitment Board.
- 11.2.2 Appeal for re-conduct of Proficiency Test will not be entertained.

11.3 **PHYSICAL STANDARD TEST (PST)**

- 11.3.1 Candidates who qualify in Trial & Proficiency Test will undergo Physical Standard Test (PST).
- 11.3.2 Candidates will be measured for height, chest and weight by the Board of Officers. The candidates who meet the requirements of physical standard will be allowed to participate in further recruitment process. The candidates who do not fulfill the laid down physical standards will be eliminated from recruitment process by giving rejection slip, thereof. However, elimination on grounds of weight (i.e. Body Mass Index) will be done at the time of medical examination. Physical Standards has been elaborated in para-6.4 above.

- 11.3.3 Relaxation in height and chest (as the case may be) as mentioned in para-6.4.1 above for the candidates other than those belonging to ST category will be permissible only on production of original certificate in the proforma as prescribed in **Annexure-‘VI’** from the competent authority of the Districts where he/she ordinarily resides. ST candidates may avail the relaxation on the production of valid original ST certificate.
- 11.3.4 Candidates who are declared not qualified in Physical Standards i.e. height and chest may prefer an appeal on the same day, if they so desire, to the Appellate Authority against rejection in physical measurement. Such candidates will be re-measured either on the same day or will be given a fresh date to appear for re-measurement by the Appellate Authority. The decision of the appellate authority in this regard will be final and no further appeal or representation in this regard will be entertained thereafter. If candidate is found to be within the prescribed standard, he/she will be allowed to the next stage of the selection process.
- 11.3.5 **The candidates who do not fulfill the laid down physical standards will be eliminated from recruitment process by giving rejection slip, thereof. However, elimination on grounds of weight (i.e. Body Mass Index) will be done at the time of medical examination.** The candidates who meet the requirements of physical standard will be allowed to participate in Documentation.

11.4 **DOCUMENTATION :**

Candidates who qualify in Trial Test, Proficiency Test & Physical Standard Test (PST) will undergo Documentation. Following Original testimonial/ documents of the candidates will be scrutinized. Candidates who fail to produce requisite original testimonials / certificates will be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip intimating reasons thereof by the Presiding Officer and **no candidates will be allowed provisionally.**

- (i) Educational certificates (12th pass or its equivalent).
- (ii) Date of birth certificate. (Matriculation or 10th pass certificate).
- (iii) SC/ST, OBC and EWS Certificate, if applicable. It should be in the proforma as prescribed in **Annexure-III, IV & V** respectively. Caste certificates which are not in prescribed manner as specified in the advertisement notice will not be accepted.
- (iv) Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonese, Gorkhas, Dogras, Marathas and Adivasis requesting for relaxation in height and chest should produce certificate in proforma/format given in **Annexure-VI.**
- (v) Certificates of Sports achievements as mentioned in para-6.3.
- (vi) Certificates (Forms) issued by the recognized

federations/associations as per **Appendix-‘A’, ‘B’, ‘C’ & ‘D’** as the case may be,

- (vii) No Objection Certificate in case of persons serving in Govt./Semi-Govt. Departments from their Head of Office as per format given in **Annexure-VII**.
- (viii) Four passport size recent photographs of the candidates duly printed the date of photograph (**i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification**).
- (ix) The candidates must carry photo bearing identification proof such as Driving License, Voter Card, Aadhaar Card, Identity Card issued by University/College, Income Tax Pan Card **in original** which he has mentioned / filled in application form.
- (x) Identification of the candidates will be checked by the board of officers at the time of Trial Test/Proficiency Test/PST & Documentation and Medical Examination from Identity Cards as produced by them. **Biometric credentials (LTR/RTI/Fingers impression) of all candidates shall be registered before conduct of examination which will be used in all further stages of recruitment.**

11.4.1 CISF at its discretion can check or verify genuineness of any certificate produced by the candidate during recruitment or at later stage and the decision of CISF after such verification/checking shall be final.

11.4.2 There shall be no appeal against rejection in documentation.

12. MEDICAL EXAMINATION :

- 12.1 Only those candidates who have qualified in Trial Test, Proficiency Test, Physical Standard Test (PST) and Documentation will be shortlisted on the basis of their performance in Proficiency Test and the marks (Out of 10 Marks) accorded to the candidate having meritorious Sports Certificates/Achievements in the respective discipline for appearing in the Detailed Medical Examination. **The number of candidates shortlisted for Medical Examination (DME/RME) will be about 2 (two) times of the number of vacancies notified.**
- 12.2 The Department shall have the discretion to fix different qualifying marks for candidates belonging to different disciplines/events taking into consideration of vacancies allotted to each disciplines/events.
- 12.3 The shortlisted candidates will be medically examined by the Medical Boards to assess their physical and medical fitness. The candidates have to meet

the medical standards as prescribed in the Uniform Guidelines for recruitment Medical Examination for GOs and NGOs in CAPFs and ARs issued vide MHA UO No.A.VI-1/2014-Rectt(SSB) dated 20th May, 2015 and MHA OM No.E-32012/ADG(Med)/ DME & RME/DA-1/2020(Part File)/1166 dated 31.05.2021 and other instructions issued by the Government from time to time. However, being called & declared Fit in Medical Examination does not give them the right of final selection. Thus their claim for selection on such ground will not be entertained, as final selection will be based on merit as well as availability of vacancy.

- 12.4 Candidates will be declared either FIT or UNFIT. No candidate will be declared as temporary unfit.
- 12.5 In all the cases, a candidate, who has been declared medically UNFIT for appointment in the Medical Examination will be communicated the grounds for rejection in broad terms in writing by the Examining Medical Officer. All candidates declared unfit during Detailed Medical Examination (DME) will be allowed to undergo Review Medical Examination (RME), provided they give their written consent by appending their signature on the intimation indicating the reasons for being unfit. The RME of candidates will be conducted in continuation of- DME preferably on the next day of DME. The consent for RME duly signed by the candidate should be submitted within 24 hours after candidate is informed of his/her unfitness in DME. No appeal will be entertained against the findings of the Review Medical Board in Review Medical Examination.

Note : Colour vision test should be done once at the time of recruitment and later on at the time of basic training.

13. DRAWAL OF FINAL SELECT LIST :

- 13.1 After completion of Trial Test, Proficiency Test, Physical Standard Test (PST), Documentation and Medical Examination Final Merit/Select List will be drawn equal to the notified vacancies.
- 13.2 Candidate will be given marks (Out of 10) for any one highest medal secured by him/her during the period from **01/01/2023 to 06/06/0025**. If any candidate has secured more than 01 medal in particular Games, in that case he/she shall be awarded marks for only the highest medal/position secured in the Competition/ Tournament /Games.
- 13.3 If tie persists, the younger players will be given preference. If tie still persist, candidate's name in alphabetical order in English will be given priority.
- 13.4 Success in any stage of the Recruitment does not confers any right of appointment unless department is satisfied after such verification as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13.5 Final result will be published on CISF Recruitment website i.e. <https://cisfrecr.cisf.gov.in/> after reasonable time from the date of completion of recruitment.

13.6 **No waiting list will be kept/maintained.**

Note- I The candidates applying for the Recruitment should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for the post. Their admission at all the stages of recruitment will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any time before or after the Trial Test/Proficiency Test/PST & Documentation and medical examination, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions; their candidature for the examination will be cancelled forthwith by the department.

Note-II In case, any candidate is found ineligible or found to be suppressing facts whatsoever at any time during the recruitment process or thereafter, his/her candidature/ selection /appointment shall be cancelled forthwith.

14. **DECISION** : The decision of the board/ department in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of tests, allotment of recruitment centres and preparation of merit list will be final and binding on the candidates and no enquiry/ correspondence will be entertained in this regard.

15. **COURTS JURISDICTION** : Any dispute with regard to this recruitment will be subject to courts/tribunals having jurisdiction over the City/Town in which the concerned Recruitment Centre of CISF is situated or where the candidate has submitted his application.

16. **IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES :**

16.1 Before applying, candidates must go through the instructions given in the notice of recruitment very carefully i.e. requirements of educational qualification, age, physical standards, sports eligibility etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post.

16.2 Application shall be considered in light of the evidence which the applicant may furnish of his/her having represented in any one of the Competition/Tournament/Games as mentioned in para-6.3.

16.3 Verification of documents with originals will be carried out at the time of Documentation. Therefore, candidature will be accepted provisionally only. During scrutiny of documents, if any claim made in the application is not found substantiated, the candidature will be cancelled.

- 16.4 Candidates seeking reservation benefits such as SC/ST/OBC/EWS or any other relaxation as per the provisions of the Notice of recruitment must ensure that they are entitled to such reservation/ relaxation. They should be in possession of the relevant certificates in original in the prescribed format in support of their claim when the copies of the certificates are sought.
- 16.5 Persons with Disabilities (PwD)/Differently abled candidates are not eligible to apply for this examination.
- 16.6 Candidates are advised to fill their correct and active e-mail addresses and mobile number in the online application as correspondence may be made through e-mail/SMS.
- 16.7 Fee payable : Rs.100/- (Rs. one hundred only). Female candidates and those candidates belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) categories are exempted from payment of application fee.
- 16.8 Candidates must enter their names, date of birth, father's name and mother's name strictly as given in the matriculation certificate.
- 16.9 In the online application form, candidates are required to upload Photograph duly printed with the date of photograph (**i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification**), Signature and scanned copies of all the supporting documents with regard to age, educational qualification. **Applications without the date printed on photograph will be rejected.**
- 16.10 Candidates are advised to submit his/her application for one discipline only. If the candidate submits multiple applications for one/more disciplines, only the first application in single discipline will be processed further.
- 16.11 **Applications with blurred/ illegible Photograph/ Signature or photograph without date will be rejected summarily.**
- 16.12 An application will be summarily rejected at any stage of the recruitment process for having incomplete information / wrong information / incomplete requisite certificates / misrepresentation of facts / left unsigned/ submitted without fees where due.
- 16.13 Request for change/ correction in any particulars in the Application Form, once submitted, will not be entertained under any circumstances. Such requests received through Post/Fax/Email/By hand etc shall not be entertained.

- 16.14 When application is successfully submitted, it will be accepted 'Provisionally'. Candidates should take printout of the application form for their own records. The printout of the 'Application Form' is not required to be submitted.
- 16.15 In case of fake/ fabricated application/ registration by misusing any dignitaries name/ photo, such candidate/cyber café will be held responsible for the same and liable for suitable legal action under cyber/IT Act.
- 16.16 Candidate should note that they are applying for combat force and should participate in the recruitment process with due physical/ mental preparation and will be fully responsible for any incident/ accident occurring during any stage of recruitment. Recruiting Agency (CISF)/ CISF Centre will not be responsible for any such unforeseen incident/ accident. Candidates will participate in recruitment at their own risk.
- 16.17 **During the recruitment, "Dope control will be enforced"**. If a candidate is found using any energetic medicine/drugs etc. during the course of recruitment or to enhance performance will be debarred / candidature will be cancelled.
- 16.18 For any queries, candidates may contact Help Line Number 011-24366431/ 24307933 for clarifications, if any, regarding filling application and Trial/Proficiency/PST & Documentation & Medical Examination etc.
- 16.19 Candidates should come duly prepared for 4-6 days stay on their own arrangements for different stages of recruitment process. No TA/DA will be admissible for journey and stay.
- 16.20 In case a candidate is found unfit/ineligible for service on any ground after his/her selection/appointment, his/her service will be terminated without assigning any reason.
- 16.21 If any candidate is found to indulge at any stage in any act of malpractices during the entire recruitment process or thereafter, his/her candidature will be cancelled and he/she will be liable for suitable legal action.
- 16.22 Any certificate other than in Hindi or English should be endorsed with translation in Hindi or English duly attested, else will not be entertained.
- 16.23 Canvassing in any form or bringing outside influence will automatically disqualify the candidate from appearing the tests further without any notice.
- 16.24 Candidates having the right aptitude, capability, fitness and knowledge of respective discipline/event & eligibility, may apply for the posts.

- 16.25 Candidates are advised to have sufficient practice for trial/proficiency tests before coming for recruitment. CISF or Government of India will not be responsible for any injury/ mishap or medical problem during the course of recruitment process / test.
- 16.26 Any candidate found using any unfair means or resorting to impersonation will be disqualified forth with and liable for action as per law. The person impersonating a candidate will be arrested and a criminal case under IPC/BNS will be registered against him. Such candidates will be barred from applying for the future recruitment in CISF.
- 16.27 Any person acting as a tout or taking the help of a tout will be dealt as per law and criminal case will be registered against him under IPC/BNS.
- 16.28 Candidates have to appear in all the stages of recruitment for which they have qualified. If a candidate is absent from any stage / event for which he/she has qualified, his/her candidature will be cancelled.
- 16.29 In case a candidate is found unfit/ineligible for service on any ground after his selection/ appointment his/her service will be terminated without assigning any reason.
- 16.30 **The Director General, CISF reserves the right to make changes or cancel or postpone the recruitment without assigning any reason.**
- 16.31 The department has a right to make any changes in the advertisement or cancel it without assigning any reason. Further all the conditions mentioned herein may vary as per orders issued by Government of India from time to time.
- 16.32 Undergoing medical examination at the end of the recruitment process does not guarantee for appointment as the offer of appointment will be made only according to allotted vacancies.
- 16.33 Selected candidates are required to undergo basic training in CISF RTCs for which they will be informed separately through offer of appointment letter. If any candidate does not qualify the prescribed training, his/her services are liable to be terminated. They will be on probation for a period of two years which can be extended. During the period of probation if found unfit for any reason, the services are liable to be terminated.
- 16.34 CISF strives to recruit fit, committed, sincere and best candidates with transparency and impartiality. Hence, candidates are advised to **“BEWARE OF TOUTS”**.

- 16.35 The Offer of Appointment is the last stage of the recruitment process. Thus, qualifying in any previous stage of recruitment process (including medical examination) does not confer any right of selection or appointment to the post to any candidate.
- 16.36 In the event of any dispute regarding the instructions outlined in this notice, the English version shall prevail.

IMPORTANT NOTICE FOR CANDIDATES

Beware of touts. No money is charged for recruitment in CISF. If you have paid or promised to pay money to any one you are being cheated & you are losing money. If anyone demands money for getting you selected, immediately inform the Presiding Officer (PO) of recruitment board and DIsG of concerned recruitment Centre or inform through e-mail giving the name of the person at ac-rectt@cisf.gov.in

:: xxxx ::

Procedure for filling online Application

Process of filling online application for the examination consists of two parts:

I.	One Time Registration
II.	Filling of online Application for the Examination
<u>Part-I (One-Time Registration)</u> One-time Registration will be a permanent database for candidate. The Unique Registration ID and Password will be used by the candidates for all the examinations conducted by CISF. Read the instructions given in the Notice of Examination carefully before filling up the online 'Registration Form' and 'Application Form'.	
How to register for the first time :-	
1. Log on to the official website of CISF that is https://cisfrectt.cisf.gov.in/. 2. Home page will be displayed. Click on “Login” button. 3. New page will be displayed. Click on “New Registration” button. 4. One-time Registration process requires filling up of following information: a. Basic details b. Additional and contact details c. Declaration. 5. For filling up the ‘One-Time Registration Form’, please follow the following steps: a. Personal details (e.g. Name, father’s name, mother’s name, date of birth and gender) are required to be entered twice, in the relevant columns of the Registration Form to avoid any inadvertent mistakes in filling up of the form. If there is mismatch between the original and verify data columns, it will not be accepted and an indication to this effect will be displayed in separate dialogue box. b. Name of Applicant: As given in Matriculation or 10th Class Certificate. In case, you have made any changes in your name after matriculation, indicate the same. c. Father’s Name - As given in Matriculation or 10th Class Certificate. d. Mother’s Name - As given in Matriculation or 10th Class Certificate. e. Date of Birth - As given in Matriculation or 10th Class Certificate. f. Gender – Select the appropriate one. g. Click on submit button. New page will be displayed. h. Check your personal details and fill the basic details.	

- i. Fill the valid Mobile Number and Email-ID. It may also be noted that any information which the department may like to communicate with you through e-mail/SMS, will be sent on provided Email-ID/mobile number. Same Email-ID/Mobile number will also be used for retrieval of password/Registration Number, if required.
- j. Read the 'Declaration' carefully, if you agree with the declaration, click on '**Submit**' button.
- k. On confirmation, your data will be saved. Your Registration Number and Password will be sent to your registered Email-ID and mobile number.
- l. Login using your Registration-Number as user name and auto generated password provided to you on your email and mobile number.

NOTE :-

YOU ARE AGAIN CAUTIONED THAT NAME, FATHER'S NAME, MOTHER'S NAME AND DATE OF BIRTH SHOULD BE FILLED EXACTLY AS RECORDED IN MATRICULATION CERTIFICATE. YOUR CANDIDATURE MAY GET CANCELLED IN CASE OF INCORRECT/ WRONG INFORMATION.

Part-II (Online Application Form)

1. Before proceeding with filling of online application, keep the following data ready:
 - a. Recent scanned colour passport size photograph (i.e. **not more than three months old from the date of publication of the Notice of Examination**) in JPEG format (20 KB to 50 KB). Image dimension of the photograph should be about 3.5cm (width) x 4.5cm (height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible. **The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.**
 - b. Scanned signature in JPEG format (10 KB to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height). **Applications with illegible signature will be rejected.**
 - c. The scanned copies of all the relevant documents **in PDF format (not more than 01 MB)** with regard to his/her age (i.e. Date of Birth Certificate or Matriculation / SSCL/10th Certificate) and other educational qualification.
2. Login to CISF Recruitment website i.e <https://cisfrectt.cisf.gov.in/> and click “**APPLY PART**” tab.
3. New page will be displayed and fill the essential details such as ‘**Registration Id**’, ‘**Password**’, ‘**Captcha**’ and click “**SUBMIT**” button.
4. Registered candidate may login to online system through their provisional ‘**Registration Id and Password**’ received by the candidate at the time of registration in CISF Recruitment website i.e. <https://cisfrectt.cisf.gov.in/>.
5. New page will be displayed and click button of “**HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2025**”.
6. After clicking the button of “**HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2025**”, a window will open which will have application form. The data/details filled in by applicant earlier, at the time of registration process, will automatically be filled in the respective fields in the application form. The remaining empty field should be filled by the candidate. The candidates are advised to fill in the details very carefully.
7. Once the candidate has filled in all the required details in the application form, he will find two buttons at the bottom namely “**SAVE & PREVIEW**” and “**CLOSE**”.
 - a) If the candidate uses the “**SAVE & PREVIEW**” button, he will find another two buttons at the bottom namely “**SUBMIT**” and “**EDIT APPLICATION**”.

- i) If the candidate uses the **“SUBMIT”** button, the application form will be submitted.
 - ii) If the candidate uses the **“EDIT APPLICATION”** button, the data/details of the candidates can be edited.
- b) If the candidate uses the **“CLOSE”** button, windows are closed and no data/details will be saved.
- 8. Once the application form is completely filled in, read declaration carefully and click on **“SUBMIT”** button if you accept the same which will save all the data/details filled in by the applicant.
- 9. **Then, upload your recent Photograph (not more than three months old from the date of publication of the Notice of Examination and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on it) as specified at S.No-1(a) above. The date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.**
- 10. Upload your signature as specified at S.No.1(b). **Applications with blurred signatures will be rejected.**
- 11. **Upload your scanned copy of Date of Birth Certificate/Matriculation/SSLC/10th Certificate and educational qualification for proof of age and educational qualification respectively as specified at Sl.No.1(c).**
- 12. After uploading all the required documents and images, click on **“PAYMENT”** button at the bottom of the page.
- 13. Now **‘PAYMENT’** window will appear. The candidate who are exempted from payment of application fee will see the message that **you are eligible for Fee Exemption** and will get the **‘PRINT APPLICATION’** option.
- 14. Proceed to make fee payment if you are not exempted from payment of application fee.
- 15. Make the payment of application fee either through UPI, Net Banking, by using Credit or Debit cards or Rupay cards or in cash at SBI Branches by generating SBI Challan by selecting fee payment mode option. If candidate selects challan option then candidate gets a fee deposit challan form from the server. After getting challan form candidate should go to the nearest State Bank of India Branch and deposit the fee. After this candidate’s formality is completed. Bank will generate MIS Report and will send to CISF. This process takes minimum 48 hours. After 48 hours the candidate may check the status of his/her application.
- 16. After completion of payment procedure, candidate may take a print out of their filled application form and retain the same with them. They will be required to submit

printout of online application along with self attested documents in support of their eligibility at the time of Trial/Proficiency Test/PST and Documentation.

ATTENTION:

- a. Candidates should verify the registered data(s) carefully. In case of any error, the same may be edited by clicking "**EDIT**" button.
- b. On clicking the "**SUBMIT**" button, the data/details entered so far will be saved in server. If the candidate clicks "**EDIT**" button, the data/details will not be saved and the candidate will be able to edit the data.

The form of certificate to be to be produced by Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____
 son/daughter of Shri _____ of village/Town* _____ in
 District/Division* _____ of the State/Union Territory*
 _____ belongs to the _____ Caste/Tribe* which is
 recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:-

- @ The Constitution (Scheduled Caste) Order , 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951*
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*
- As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas Reorganization) Act, 1971, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1976. , the State of Mizoram Act, 1986 the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganization) Act, 1987]
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956 _____
- @ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 1991
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976

2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Smt*_____ Father/Mother of Shri/Smt./Kumari*_____ of village/Town*_____ in District/Division*_____ of the State/UT*_____ who belongs to the _____ Caste/Tribes* which is recognised as a SC/ST* in the State/Union Territory* _____ issued by the _____ (name of the prescribed issuing authority) vide their No. _____ dated _____.

3. Shri/Shrimati/Kumari* _____ and or * his/her* family ordinarily reside(s) in Village/Town* _____ of _____ District/Division* of the State/Union Territory* of _____.

Place
Date

Signature

** Designation _____

(With Seal of Office)
State/Union Territory

* Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote specific Presidential order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

Note :-The terms 'ordinarily' reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/+ Sub Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate.(+not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- (v) Administrator/ Secretaru to Administrator/ Development Officer (Lakshadweep).

Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISION OFFICER.

The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of _____ of village/Town _____ in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ Community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated _____. Shri/Smt./Kumari _____ and/ or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/ Division of the _____ State/ Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/ sections (**Creamy Layer**) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/1993**.

Dated:

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.
(with official seal)

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note :- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____
 son/daughter/wife of _____ permanent resident of
 _____, Village/Street _____ Post Office _____
 District _____ in the State/Union Territory _____ Pin
 Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically
 Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her I 'family'** is below Rs.
 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her
 family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to _____ the
 caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other
 Backward Classes (Central List).

Recent size photograph of the applicant	Passport attested
--	----------------------

Signature with seal of
Office

Name _____

#Designation _____

* **Note 1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

** **Note 2:** The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

*** **Note 3:** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

#List of authorities empowered to issue Income & Assets Certificate

- (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Ist Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
- (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
- (iv) Sub-Divisional Officer or the area where the candidate and/ or his family normally resides.

ANNEXURE-VI

FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THOSE CANDIDATES WHO INTEND TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT

Certified that Shri/Kumari _____ Son/Daughter of Shri _____ is permanent resident of Village _____ Tehsil/Taluka _____ District _____ of _____ State.

2. It is further certified that :

- ❖ Candidates hailing from hill areas i.e. Gorkhas, Garhwalis, Kumanoese, Dogras, Marathas and Adivasis.
- ❖ He/She belongs to _____ Tribal Community.

Date : _____ Signature
Place : _____ District Magistrate/Sub-Divisional
Magistrate/Tehsildar
❖ *Delete whichever is not applicable*

ANNEXURE-VII

FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY EMPLOYEES OF GOVERNMENT DEPARTMENTS/UNDERTAKINGS INCLUDING CISF PERSONNEL

Certified that:-

1. Mr./Miss/Mrs _____ hold a permanent / temporary post under Central / State Government in the rank of _____.
2. He/She has submitted his/her application to this Department/Officer on _____.
3. Mr/Miss/Mrs _____ will be released in case he/she is selected for appointment in Central Security Force.

Place : _____ Signature of Head of Office/
Date : _____ Department with official seal

Note : Candidates already in Government service must submit their application through proper channel along with the above certificate.

Specimen of Photographs

Acceptable Photograph



Samples of photographs which are not acceptable

Extra Colour



Too close



With hat/cap



Blur Photographs



Inverted



Too dark



With goggles



Facing Sideways



Too Small



With spectacles



NOTE : The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected.

FORM-1

[For representing India in an International Competition in one of the recognized Games/Sports]

**NATIONAL FEDERATION/ NATIONAL ASSOCIATION
OF _____**

**Certificate to a meritorious sportsman for employment to a Group "C"
Services under the Central Government**

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of
Shri _____ resident _____ of
_____ (complete address) represented
the _____ Country _____ in _____ the _____ game/event _____ of
_____ in _____ competition/Tournament held
at _____ from _____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said
competition/tournament was _____.

The certificate is being given on the basis of record available in the office of
National _____ Federation/National _____ Association _____ of
_____.

Place: _____

Date : _____

Signature _____
Name _____
Designation: _____
**Name of the Federation/
National Association** _____
Address _____
Seal: _____

Note: This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary, National
Federation/National Association.

FORM-2

[For representing a State in India in a National Competition in one of the recognized Games/ Sports]

STATE ASSOCIATION OF _____ IN THE GAME _____ OF

Certificate to a meritorious sportsman for employment to a Group "C"
Services under the Central Government

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of
Shri _____ resident of _____
(complete address) represented the State of _____ in the
game/event of _____ in the National Competition/ Tournament
held at _____ from _____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said
Competition/Tournament was _____.

The certificate is being given on the basis of record available in the office of State
Association of _____.

Place: _____

Date : _____

Signature _____

Name _____

Designation: _____

Name of the State Association _____

Address _____

Seal: _____

Note: This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of the
State Association.

FORM-3

[For representing a University in the Inter -University Competition in one of the recognized Games/ Sports]

UNIVERSITY OF _____
_____.

Certificate to a meritorious sportsman for employment to a Group "C"
Services under the Central Government

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of
Shri _____ resident of _____
(complete address) student of _____ represented the University of
_____ in Inter the game/event of _____
in Inter University Competition / Tournament held at _____ from
_____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said
Competition/Tournament was _____.

The certificate is being given on the basis of records available in the office of Dean of
Sports or Officer in overall charge of sports in the University of
_____.

Place: _____

Date : _____

Signature _____

Name _____

Designation: _____

Name of the University _____

Address _____

Seal: _____

Note: This certificate will be valid only when signed personally by Dean/Director or other
officer in overall charge of sports in the University of _____.

FORM-4

[For representing a State School Team in the National Games for School in one of the recognized Games/Sports]

DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTIONS/EDUCATION OF THE STATE OF

**Certificate to a meritorious sportsmen for employment to Group "C" Services
under the Central Government**

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of
Shri _____ resident _____ of
_____ (complete address) student of
_____ represented the _____ State School Team
in the game/event of _____ in the National Games for Schools held
at _____ from _____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said
Competition/Tournament was _____.

The certificate is being given on the basis of record available in the office of
Directorate of Public Instructions/Education of
_____.

Place: _____

Date : _____

Signature _____

Name _____

Designation: _____

Address _____

Seal: _____

Note: This certificate will be valid only when signed personally by Director or
Additional/Joint or Deputy Director in overall charge of sports/games for schools in the
Directorate of Public Instruction/Education of the State.

CBC 19113/11/0002/2526

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

सूचना

केओसुब में खेल कोटे के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर पुरुष तथा महिला उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती-2025

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि : 18/05/2025 से 06/06/2025 तक
अंतिम तिथि 06/06/2025 (23.59 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष एवं महिला नागरिकों से वेतन स्तर – 4 (रु. 25,500 से 81,100/—) में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्तों सहित खेल कोटा-2025 के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के 403 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर, वे केओसुब अधिनियम एवं नियम के साथ-साथ समय-समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा अधिशासित होंगे। वे 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में ज्ञात परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली” के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में, ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-	
1.1	आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
1.2	भर्ती में निम्नलिखित 2 चरण होंगे:- 1 प्रथम चरण क) ट्रायल परीक्षण। ख) दक्षता परीक्षण। ग) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) घ) दस्तावेजीकरण। 2 दूसरा चरण चिकित्सा परीक्षण
1.3	खेल कूद के प्रमाण-पत्रों सहित अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन मूलप्रमाण-पत्रों के साथ दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा।
1.4	खेल कोटे के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाएगा।
1.5	अंतिम परिणाम को दक्षता परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए गए अंकों के और अभ्यर्थियों द्वारा ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, चिकित्सा परीक्षण और इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित खेल कूद की गतिविधियों में उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए अंकों के आधार पर घोषित किया जायेगा।
1.6	अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र केओसुब की भर्ती वेबसाइट https://www.cisfrectt.cisf.gov.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे जिन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा और इन्हें डाक से नहीं भेजा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केओसुब की भर्ती वेबसाइट को भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से देखें। अभ्यर्थियों को अपने बुलावा/प्रवेश-पत्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए लाना होगा।
2.	वेतनमान : पे लेवल-4 (रु. 25,500-81,100)
3.	राष्ट्रीयता/नागरिकता : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।
4.	रिक्तियां: रिक्तियों का स्पर्धा वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	स्पर्धा / विशेषता	पुरुषों की रक्ति		महिलाओंकी रक्ति	
		आयोजन / स्पर्धा / भार श्रेणी		आयोजन / स्पर्धा / भार श्रेणी	
1.	बुधु	48 किग्रा से अधिक और 52 किग्रा तक	01	45 किग्रा से अधिक और 48 किग्रा तक	01
		52 किग्रा से अधिक और 56 किग्रा तक	01	48 किग्रा से अधिक और 52 किग्रा तक	01
		56 किग्रा से अधिक और 60 किग्रा तक	01	52 किग्रा से अधिक और 56 किग्रा तक	01
		60 किग्रा से अधिक और 65 किग्रा तक	01	56 किग्रा से अधिक और 60 किग्रा तक	01
		65 किग्रा से अधिक और 70 किग्रा तक	01	60 किग्रा से अधिक और 65 किग्रा तक	01
		70 किग्रा से अधिक और 75 किग्रा तक	01		
		कुल	06	कुल	05
2.	ताईक्वांडो	68किग्रा	01	46 किग्रा सहित और इस तक	01
		87 किग्रा से अधिक	01	46 किग्रा से अधिक और 49 किग्रा तक	01
				49 किग्रा से अधिक और 53 किग्रा तक	01
				53 किग्रा से अधिक और 57 किग्रा तक	01
				57 किग्रा से अधिक और 62 किग्रा तक	01
				62 किग्रा से अधिक और 67 किग्रा तक	01
		कुल	02	कुल	06
3.	कराटे	i)व्यक्तिगत काता	02	i)व्यक्तिगत काता	01
		ii)व्यक्तिगत कुमाइट:-		ii)व्यक्तिगत कुमाइट:-	
		कुमाइट-55 किलो	01	कुमाइट-50 किलो	01
		कुमाइट-60किलो	01	कुमाइट-55 किलो	01
		कुमाइट-67 किलो	01	कुमाइट-61 किलो	01
		कुमाइट- 75किलो	01	कुमाइट-68 किलो	01
		कुमाइट-84 किलो	01	कुमाइट- +68 किलो	01
		कुमाइट-+84 किलो	01		
		कुल	08	कुल	06
4.	पेनकाक सिलाट	ट्रेडिंग- फाइटिंग इवेंट		ट्रेडिंग- फाइटिंग इवेंट	
		वर्ग ए 45 किग्रा से 50 किग्रा तक	01	वर्ग ए 45 किग्रा से 50 किग्रा तक	01
		वर्ग बी 50 किग्रा से 55 किग्रा तक	01	वर्ग बी 50 किग्रा से 55 किग्रा तक	01
		वर्ग सी 55 किग्रा से 60 किग्रा तक	01	वर्ग सी 55 किग्रा से 60 किग्रा तक	01
		वर्ग डी 60 किग्रा से 65 किग्रा तक	01	वर्ग डी 60 किग्रा से 65 किग्रा तक	01
		वर्ग ई 65 किग्रा से 70 किग्रा तक	01	वर्ग ई 65 किग्रा से 70 किग्रा तक	01
		वर्ग एफ 70 किग्रा से 75 किग्रा तक	01	तुंगगल- एकल आर्टिस्टिक इवेंट	01
		वर्ग जी 75 किग्रा से 80 किग्रा तक	01	गंडा दिवन आर्टिस्टिक इवेंट	01
		तुंगगल- एकल आर्टिस्टिक इवेंट	01	रेगु -3- पर्सन आर्टिस्टिक इवेंट	01
		गंडा दिवन आर्टिस्टिक इवेंट	01		
		रेगु -3- पर्सन आर्टिस्टिक इवेंट	01		
		कुल	10	कुल	08
5.	तीरंदाजी	रिकर्व	03	रिकर्व	03
		कंपाउंड	03	कंपाउंड	03
		इंडियन राउंड	02	इंडियन राउंड	02
		कुल	08	कुल	08
6.	क्याकिंग	के-1-200 मीटर	01	के-1 -200 मीटर	01
		के-2 -200 मीटर	01	के-2 -200 मीटर	01
		के-1-500 मीटर	01	के-1 -500 मीटर	01

		के-2 -500 मीटर	01	के-2-500 मीटर	01
		के-1-1000 मीटर	01	के-1 -1000 मीटर	01
		के-2-1000 मीटर	01	के-2-1000 मीटर	01
		कुल	06	कुल	06
7.	कैनोइंग	सी -1 -200 मीटर	01	सी -1 -200 मीटर	01
		सी -2 -200 मीटर	01	सी -2 -200 मीटर	01
		सी -1 -500 मीटर	01	सी -1 -500 मीटर	01
		सी -2 -500 मीटर	01	सी -2 -500 मीटर	01
		सी -1 -1000 मीटर	01	सी -1 -1000 मीटर	01
		सी -2 -1000 मीटर	01	सी -2 -1000 मीटर	01
		कुल	06	कुल	06
8.	रोइंग	सिंगल स्कल -500 मीटर	01	सिंगल स्कल -500 मीटर	01
		कोक्सलेस पेयर-500 मीटर	02	कोक्सलेस पेयर-500 मीटर	02
		सिंगल स्कल -2000 मीटर	01	सिंगल स्कल -2000 मीटर	01
		कोक्सलेस पेयर-2000 मीटर	02	कोक्सलेस पेयर-2000 मीटर	02
		कुल	06	कुल	06
9.	फुटबाल	टीम इवेंट	09	टीम इवेंट	20
10.	हैंडबाल	टीम इवेंट	05	टीम इवेंट	10
11.	जिम्नास्टिक्स	टीम इवेंट	06	टीम इवेंट	08
12.	तलवारबाजी	फोएल	01	फोएल	01
		एपी	01	एपी	01
		सेबर	01	सेबर	01
		टीम इवेंट	01	टीम इवेंट	01
		कुल	04	कुल	04
13.	खो-खो	टीम इवेंट	12	टीम इवेंट	12
14.	तैराकी/एक्वेटिक्स	200 मीटर फ्री स्टाइल	01	200 मीटर फ्री स्टाइल	01
		1500 मीटर फ्री स्टाइल	01	400 मीटर फ्री स्टाइल	01
		100 मीटर बटरफ्लाय	01	800 मीटर फ्री स्टाइल	01
		50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक	01	1500 मीटर फ्री स्टाइल	01
		100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक	01	50 मीटर बटरफ्लाय	01
		100 मीटर बैक स्ट्रोक	02	100 मीटर बटरफ्लाय	01
				200 मीटर बटरफ्लाय	01
				400 मीटर व्यक्तिगत मेडली	01
				200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक	01
				200 मीटर बैक स्ट्रोक	01
		कुल	07	कुल	10
15.	वोलीबॉल	टीम इवेंट	03	टीम इवेंट	14
16.	सेपक टकरा	टीम इवेंट	04	टीम इवेंट	04
17.	बास्केट बॉल	टीम इवेंट	08	टीम इवेंट	12
18.	टेनिस	टीम इवेंट	04	टीम इवेंट	04
19.	बैडमिंटन	टीम इवेंट	04	टीम इवेंट	04
20.	साइकिलिंग	टीम इवेंट	04	टीम इवेंट	04
21.	एथलेटिक्स	200 मीटर	01	100 मीटर	01
		400 मीटर	02	200 मीटर	01
		1500 मीटर	02	800 मीटर	03

		5000 मीटर	03	1500 मीटर	03
		10000 मीटर	03	5000 मीटर	02
		400 मीटर बाधा दौड़	02	10000 मीटर	02
		3000 मीटर स्टीपल चेज	01	100 मीटर बाधा दौड़	02
		मैराथन 42.195 किमी	03	400 मीटर बाधा दौड़	03
		20 किमी वॉक	03	3000 मीटर स्टीपल चेज	03
		4 X 100 मीटर रिले	01	शॉटपुट	01
		शॉटपुट	01	हैमर थ्रो	01
		डिसकस थ्रो	02	ऊंची कूद	01
		भाला फेंक	01	ट्रिपल जंप	02
		लंबी कूद	02	हेप्ताथेलान	03
		ट्रिपल जंप	01		
		पोल वाल्ट	01		
		डेकाथेलोन	01		
		कुल	30	कुल	28
22.	मुक्केबाजी	50 किग्रा	01	48 किग्रा	01
		80 किग्रा	01	57 किग्रा	01
		85 किग्रा	01	80 किग्रा	01
		कुल	03	कुल	03
23.	हॉकी	टीम इवेंट	07		
24.	निशानेबाजी	व्यक्तिगत इवेंट (राईफल)	01	व्यक्तिगत इवेंट (राईफल)	02
25.	जूडो	66 किग्रा	01	63 किग्रा	01
		100किग्रा से ऊपर	01		
		कुल	02	कुल	01
26.	कबड्डी	टीम इवेंट	06		
27.	भारोत्तोलन	61 किग्रा	02	59 किग्रा	02
		73 किग्रा	01	71 किग्रा	01
		81 किग्रा	01	76 किग्रा	01
		89 किग्रा	01		
		109 किग्रा	01		
		109 किग्रा से ऊपर	02		
		कुल	08	कुल	04
28.	कुश्ती	57 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	50 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01
		61 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	59 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02
		79 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	76 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01
		92 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		97 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		55 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		60 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		63 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		82 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		87 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		130 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		कुल	13	कुल	04

29.	बॉडी बिल्डिंग	55 किग्रा	01	
		60 किग्रा	02	
		65 किग्रा	02	
		70 किग्रा	02	
		75 किग्रा	01	
		80 किग्रा	01	
		90 किग्रा	01	
		100 किग्रा	01	
		100 किग्रा से ऊपर	01	
		कुल	12	
		कुलयोग	204	कुल योग 199
	4.1	उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या संभावित है और ये भर्ती के किसी भी चरण में प्रशासनिक कारणों से बढ़ अथवा घट सकती हैं। रिक्तियों में संशोधन, यदि कोई होगा, तो उसे कैओसुब भर्ती वेबसाइट https://www.cisfrectt.cisf.gov.in पर अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी चरण में अधिसूचित किया जाएगा।		
	4.2	नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारतीय क्षेत्र में कहीं भी और विदेश में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।		
	4.3	पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र को केवल एक स्पर्धा में ही प्रस्तुत करें। यदि अभ्यर्थी एक/अधिक स्पर्धाओं के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो केवल एक स्पर्धा के लिए प्रस्तुत प्रथम आवेदन को ही आगे प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।		
	4.4	ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन पत्र में उनके पहचान पत्र की सही संख्या (अर्थात् आधार संख्या, ड्राईविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड संख्या) भरे/दर्ज करें। समान पहचान पत्र भर्ती के प्रत्येक चरण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा भर्ती के प्रथम चरण के दौरान रिकार्ड किया जाएगा और अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन करने के लिए भर्ती के आगामी चरणों में प्रयोग किया जाएगा।		
	4.5	अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षिक/जाति/खेलकूद के प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों को ट्रॉयल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण के समय समुचित जांच के लिए लाना होगा। यदि कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी। किसी अन्य तिथि को दस्तावेजीकरण के लिए उसकी निरस्तीकरण के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और भर्ती की अगली प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।		
	4.6	ये पद वर्दीधारी हैं और पूर्णतया अस्थायी हैं परंतु इनके स्थायी किए जाने की संभावना है।		
	4.7	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में, निम्नलिखित विवरण वाले जाति प्रमाण-पत्रों को निर्धारित प्रमाण पत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है:—		
		क) अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा उससे संबंधित स्थान/गांव/कस्बा जिससे वे संबंध रखते हैं।		
		ख) उपयुक्त/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।		
		ग) जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्राधिकरण/संकल्प को सही तरीके से उल्लिखित किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि आरक्षित श्रेणी के अधीन एक अभ्यर्थी का दावा वास्तविक है।		
		घ) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित जाति उस श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समेकित सूची में उपलब्ध है।		
	4.8	भर्ती केवल उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है जो पैरा-6.3 के अनुसार मेडल विजेता/पोजीशन और/अथवा प्रतिभागी हैं।		

5.	प्रमुख विशेषताएं:		
5.1	आवेदन-पत्रों को केवल केओसुब की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् https://www.cisfrecht.cisf.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम अनुमत नहीं है।		
5.2	सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से 100/- रु. का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित हैं, उन्हें आवेदन शुल्क अदायगी से छूट प्राप्त है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति सिद्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि भर्ती के किसी भी चरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी को दावा झूठा/कपटपूर्ण रूप से किया गया पाया जाता है तो उनकी अभ्यर्थिता सीधे निरस्त कर दी जाएगी।		
5.3	अनंतिम चयन सूची/अंतिम चयन सूची इत्यादि को केओसुब की भर्ती वेबसाइट https://www.cisfrecht.cisf.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।		
5.4	अनंतिम चयन सूची में नाम आने से चयन की गारंटी नहीं मिल जाती है।		
5.5	निर्विघ्न, पारदर्शी और सही भर्ती का संचालन करने के लिए बल भर्ती के विभिन्न चरणों में पर्याप्त उपायों और आधुनिक तौर-तरीकों का पालन करेगा।		
6.	पात्रता मानदंड		
6.1	शैक्षिक अर्हताएं:		
	खेल, खेलकूद और एथलेटिक्स में राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के साथ एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 12वीं पास। (राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अलावा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र भारत सरकार की अधिसूचना के साथ होने चाहिए जिसमें यह उद्घोषणा होनी चाहिए कि ऐसी योग्यता केन्द्र सरकार के तहत सेवा के लिए 12वीं कक्षा के समतुल्य है।)		
6.2	आयु सीमा :- 01.08.2025 को 18 से 23 वर्ष के बीच। (अभ्यर्थी का जन्म 02.08.2002 से पहले और 01.08.2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।)		
6.2.1	विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार हैं:-		
	क्र.सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से अधिक अनुमत आयु में छूट
	i)	अनुसूचित जाति/जनजाति	ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक
	ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष तक
6.2.2	विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार के तहत न्यूनतम 3 वर्षों की सतत सेवा प्रदान की है। - अधिकतम आयु सीमा एससी/एसटी के लिए 45 वर्ष और सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 40 वर्ष है।		
6.3	खेलकूद के आयोजनों में सहभागिता :-		
	खेलकूद योग्यता	खेल कोटा के तहत प्रधान आरक्षक/जीडी पद के लिए	
	व्यक्तिगत आयोजन	i) अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर/जूनियर सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ii) राष्ट्रीय खेलों/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सीनियर/जूनियर स्तर पर एक राज्य अथवा समतुल्य इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iii) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में कोई पदक जीता हो अथवा iv) राष्ट्रीय विद्यालय खेलों/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक।	
	टीम स्पर्धा	i) अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर/जूनियर स्तर पर एक सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा	

		ii) राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनशिप में राज्य स्तरीय टीम अथवा समतुल्य इकाई का सीनियर/जूनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iii) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली टीम का सदस्य रहा हो अथवा iv) राष्ट्रीय विद्यालय खेलों/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो टिप्पणी – खिलाड़ी को टीम का खेलने वाला सदस्य होना चाहिए।																					
6.3.1	टिप्पणी : वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्रपत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया होगा वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।																						
6.3.2	केवल वे उत्कृष्ट पुरुष एवं महिला खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने 01/01/2023 से 06/06/2025 की अवधि के दौरान संबंधित खेलों/चैम्पियनशिप में भाग लिया है, वे पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।																						
6.3.3	एक आवेदन पत्र पर केवल उस प्रमाण के आधार पर ही विचार किया जाएगा जिसे आवेदक द्वारा किसी एक प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट/खेल में प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।																						
6.3.4	निम्नलिखित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई चैम्पियनशिप/खेलों पर ही विचार किया जाएगा:- क) युवा मामले और खेल-कूद मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। ख) युवा मामले और खेल-कूद विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल। ग) भारतीय विश्वविद्यालय संघ/अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा। घ) अखिल भारतीय विद्यालय खेलकूद संघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद/खेल।																						
6.3.5	खेल प्रमाण-पत्र के अलावा, निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण-पत्र (प्रपत्र) भी अपेक्षित होंगे। <table><tr><th>क्र.स.</th><th>प्रतिस्पर्धा</th><th>प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी</th><th>नमूना</th></tr><tr><td>1.</td><td>अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा</td><td>संबंधित खेलों के राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव।</td><td>परिशिष्ट-‘क’</td></tr><tr><td>2.</td><td>राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा</td><td>राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव अथवा संबंधित खेलों के राज्य फेडरेशन का सचिव।</td><td>परिशिष्ट-‘ख’</td></tr><tr><td>3.</td><td>अंतर-विश्व विद्यालय टूर्नामेंट</td><td>संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों का डीन (अध्यक्ष) अथवा खेलों के समग्र प्रभार वाला अन्य पदाधिकारी।</td><td>परिशिष्ट-‘ग’</td></tr><tr><td>4.</td><td>स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद/खेल</td><td>राज्य के लोक अनुदेशों/शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों के समग्र प्रभार में निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक।</td><td>परिशिष्ट-‘घ’</td></tr></table>			क्र.स.	प्रतिस्पर्धा	प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी	नमूना	1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	संबंधित खेलों के राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव।	परिशिष्ट-‘क’	2.	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव अथवा संबंधित खेलों के राज्य फेडरेशन का सचिव।	परिशिष्ट-‘ख’	3.	अंतर-विश्व विद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों का डीन (अध्यक्ष) अथवा खेलों के समग्र प्रभार वाला अन्य पदाधिकारी।	परिशिष्ट-‘ग’	4.	स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद/खेल	राज्य के लोक अनुदेशों/शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों के समग्र प्रभार में निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक।	परिशिष्ट-‘घ’
क्र.स.	प्रतिस्पर्धा	प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी	नमूना																				
1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	संबंधित खेलों के राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव।	परिशिष्ट-‘क’																				
2.	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव अथवा संबंधित खेलों के राज्य फेडरेशन का सचिव।	परिशिष्ट-‘ख’																				
3.	अंतर-विश्व विद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों का डीन (अध्यक्ष) अथवा खेलों के समग्र प्रभार वाला अन्य पदाधिकारी।	परिशिष्ट-‘ग’																				
4.	स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद/खेल	राज्य के लोक अनुदेशों/शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों के समग्र प्रभार में निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक।	परिशिष्ट-‘घ’																				
6.3.6	उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के अलावा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में वास्तविक भागीदारी और उपलब्धि के आधार पर मान्यता प्राप्त फेडरेशनों/संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को अतिरिक्त महत्व दिया जा सकता है।																						
6.3.7	यदि, राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघों/राज्य संगठन में सचिव का पद नहीं है तो वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित खेल फेडरेशनों/संघों में सचिव से वरिष्ठ/से समतुल्य पदधारी द्वारा प्रमाण-पत्र/प्रपत्र हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें भर्ती के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता पर विचार करने के लिए स्वीकार किया जाएगा।																						

6.4	शारीरिक मानक:—					
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए						
	क)	कद (पैरा 6.4.1 में उल्लिखित के अलावा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) – 167 सेमी				
	ख)	सीना (पैरा 6.4.1 में उल्लिखित के अलावा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) – 81–86 सेमी (5 सेमी के न्यूनतम फुलाव के साथ)				
महिला अभ्यर्थियों के लिए						
	क)	कद (पैरा 6.4.1 में उल्लिखित के अलावा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) – 153 सेमी				
	ख)	सीना – महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना मापन के लिए कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है।				
6.4.1	अभ्यर्थियों को विविध श्रेणियों के लिए शारीरिक मानक में अनुमत छूट निम्नानुसार है:—					
	क.सं.	के लिए छूट	कद		सीना	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
	i)	अनुलग्नक-“VI” के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, गोरखा* और आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी। उपरोक्त मानक सभी श्रेणियों अर्थात् सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए लागू होंगे।	160 सेमी	153 सेमी	81–86 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी फुलाव)	लागू नहीं
		* दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित “मौज़ा” उप प्रभाग शामिल हैं:— (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति जंगल-1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट-2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक हिल जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा चेंगा (18) नाईपेनिया।				
	ii)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए	160 सेमी	153 सेमी	81–86 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी फुलाव)	लागू नहीं
6.5	भार : चिकित्सा मानकों के अनुसार कद तथा आयु के समानुपात। वज़न को भौतिक मापन के समय रिकार्ड किया जाएगा परंतु वज़न के आधार पर फिटनेस का निर्णय चिकित्सीय परीक्षण के समय किया जाएगा।					
6.6	चिकित्सा मानक :-चयनित किए गए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण उनके शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. संख्या ए-VI-1/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई.-32012-एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की भर्ती के लिए समरूप दिशा-निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा।					
6.6.1	अभ्यर्थियों के घुटने मुड़े हुए, समतल पैर, धनुष के आकार के पैर, भेंगापन, बाएं आंख को बंद करने में असमर्थता, अक्सर उंगलियों को मोड़ने में असमर्थता, फूली हुई नसें और कोई भी अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए।					
6.6.2	टैटू : टैटू की अनुमति को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:—					

		क) सामग्री : एक धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार, धार्मिक चिह्न या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले चिह्न, भारतीय सेना में पालन किए जाने के अनुसार, अनुमत होंगे।	
		ख) स्थान : शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के डोरसम पर होने की अनुमति है।	
		ग) आकार : शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए।	
	टिप्पणी-I	वे अभ्यर्थी जिन्होंने 06/06/2025 को आवश्यक शैक्षिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वे पात्र नहीं होंगे और इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।	
	टिप्पणी-II	अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि उनके आयु और नाम का निर्धारण करने के लिए उनके मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाण-पत्र में जो जन्म तिथि और नाम दर्ज है उसे ही स्वीकार किया जाएगा। जन्मतिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।	
7.	प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण-पत्र का प्रारूप :		
	7.1	अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के आधार पर आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास जाति/समुदाय का प्रमाण-पत्र है और वे एक महत्वपूर्ण तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 06/06/2025 होगी। अभ्यर्थियों को उपरोक्त के संबंध में यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके द्वारा संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच किए जाने तक अनंतिम रहेगी।	
	7.2	वे अभ्यर्थी जो आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अनुलग्नक - 'III' और 'IV' जैसा मामला हो, के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की उनकी स्थिति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।	
	7.3	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पुरुष/महिला अभ्यर्थियों के लिए, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुलग्नक - 'V' के अनुसार आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण तिथि आवेदन पत्रों की प्राप्ति अंतिम तिथि अर्थात् 06/06/2025 होगी। अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता का सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी।	
	7.4	उम्मीदवारों को सावधान किया जाता है कि यदि उनके द्वारा किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या किसी अन्य लाभ के दावे को धोखाधड़ी पूर्ण पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।	
8.	आवेदन कैसे करें :		
	8.1	आवेदन पत्रों को केओसुब की वेबसाइट अर्थात् www.cisfrectt.cisf.gov.in पर ही ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करें। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया इस अधिसूचना के अनुलग्नक-I और II को देखें। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम अनुमत नहीं है।	
	8.2	खेल स्पर्धा के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र के क्षेत्राधिकार का विवरण निम्नानुसार हैं :-	
	क्र.सं.	स्पर्धा का नाम	क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र जहां पर आवेदन पत्र भेजे जाने है
	1. 2. 3. 4.	वुशु तायक्वोंडो कराटे पेनकाक सिलाट	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मुख्यालय बेहारबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट- बसिष्ठा, जिला - कामरूप राज्य - आसाम - 781029 (ई मेल : dignez@cisf.gov.in)
	5. 6. 7. 8.	तीरंदाजी कयाकिंग कैनोइंग रोइंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब (उत्तरी क्षेत्र) मुख्यालय, केओसुब परिसर, महिपालपुर, पोस्ट- महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037 (ई मेल : dignz@cisf.gov.in)

		9. 10. 11. 12.	फुटबॉल हैंडबॉल जिमनास्टिक्स फेंसिंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब (दक्षिण क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, जिला – चेन्नई, राज्य – तमिलनाडु –600090 (ई मेल : digsz@cisf.gov.in)
		13. 14. 15.	खो- खो वॉलीबॉल सेपक टेकरा	उप महानिरीक्षक, केओसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उत्तई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107 (ई मेल : digcz@cisf.gov.in)
		16. 17. 18. 19.	बास्केट बॉल टेनिस बैडमिंटन साइकिलिंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर, गाजियाबाद, पोस्ट – शिप्रा सन सिटी, जिला – गाजियाबाद, राज्य – उत्तर प्रदेश – 201014 (ई मेल : digncr@cisf.gov.in)
		20. 21. 22. 23.	एथलेटिक्स मुक्केबाजी हॉकी शूटिंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र- II) मुख्यालय परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), जिला –कोलकाता, राज्य : पश्चिम बंगाल – 700107 (ई मेल : dig-sez@cisf.gov.in)
		24. 25. 26.	जूडो कबड्डी तैराकी/एक्वेटिक्स	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केओसुब परिसर, सेक्टर-35, खारघर, नवी मुंबई, राज्य-महाराष्ट्र – 410210 (ई मेल : digwz@cisf.gov.in)
		27. 28. 29.	भारोत्तोलन रेस्लिंग बॉडी बिल्डिंग	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, केओसुब दूसरी आरक्षित वाहिनी पोस्ट : धुर्वा, जिला – रांची, राज्य-झारखंड-834004 (ई मेल : rb-2nd@cisf.gov.in)
	8.3	ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है :-		
		➤ फोटोग्राफ को अपलोड करना- जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही का स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खींचने की तिथि छपी हो (अर्थात् इस परीक्षा की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।)। जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो परीक्षा के ऑनलाइन फार्म में अपलोड किया जाना है। फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। जिस दिन फोटो लिया गया है, वह दिनांक फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन-पत्र भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।		
		➤ हस्ताक्षर को अपलोड करना- जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।		
		➤ दस्तावेजों को अपलोड करना – अभ्यर्थियों को अपनी आयु और शैक्षिक अर्हता (12वीं पास प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र) से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां पीडीएफ प्रारूप में (1 एमबी से अधिक न हो) अपलोड करना अपेक्षित होगा।		
	8.4	ऑनलाइन आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय 06/06/2025 (23:59 बजे) है।		

8.5	अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग-इन न होना अथवा लॉग-इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
8.6	ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र में प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, परिशुद्धि, संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, हाथों-हाथ आदि के रूप में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8.7	अभ्यर्थियों का स्वयं का सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है और उस को आवेदन पत्र में भरना है, क्योंकि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना उन्हें एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से ही दी जाएगी।
9.	आवेदन शुल्क :
9.1	देय शुल्क : रूपए 100/- (रूपए एक सौ मात्र)
9.2	महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (एससी), और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।
9.3	शुल्क को डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। उपरोक्त यथा दर्शाए गए माध्यमों के अलावा भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा
9.4	अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 06/06/2025 (23:59बजे) तक किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य समय के दौरान बैंक में 07/06/2025 तक नकद रूप में कर सकते हैं, बशर्ते उनके द्वारा चालान 06/06/2025 (23:59बजे) से पहले जेनरेट कर दिया गया हो।
9.5	एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
9.6	अभ्यर्थियों से अपेक्षित आवेदन शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) उनके आवेदन को सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
9.7	बैंक के लिए यथालागू शुल्क के अलावा प्रशुल्क/कर प्रभार को अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।
9.8	आवेदन पत्र की शुरुआती तिथि अर्थात् 18/05/2025 से पहले भुगतान किया गया शुल्क भी स्वीकार्य नहीं होगा।
10.	भर्ती में प्रवेश :
10.1	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय पर आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण में बुलाने के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे। तदपश्चात् योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती (अर्थात् चिकित्सा परीक्षा) के अगले चरणों के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे।
10.2	विभाग ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण /पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच करेगा। इसलिए अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
10.3	अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और भर्ती के नाम के साथ अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.4	ट्राॅयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को केओसुब की वेबसाइट www.cisfrectt.cisf.gov.in पर परीक्षा से दस दिन पहले उपलब्ध करवा दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को निश्चित किए गए भर्ती केंद्रों पर प्रवेश- पत्र का प्रिंट आउट लेकर आना आवश्यक होगा।
10.5	वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड न होने पाने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को ट्राॅयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पहले केओसुब हेल्पलाइन 011-24366431/24307933 से संपर्क करना चाहिए।
10.6	प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू)या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
10.7	यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में एकरूपता नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10.8	प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य किसी दस्तावेज को भी अभ्यर्थियों द्वारा बाद के चरणों में शामिल होते समय प्रस्तुत करना होगा।
10.9	धुंधले फोटोग्राफ/फोटोग्राफ पर बिना तिथि/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
11.	भर्ती प्रक्रिया:
	भर्ती के विभिन्न चरण निम्नलिखित क्रम के अनुसार आयोजित किए जाएंगे :-
	i) प्रथम चरण क) ट्रायल परीक्षण। ख) दक्षता परीक्षण। ग) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और घ) दस्तावेजीकरण। ii) दूसरा चरण चिकित्सा परीक्षण सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक खुद को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और नियमानुसार में पाए जाते हैं, उन्हें भर्ती के प्रथम चरण के लिए बुलाया जाएगा। ट्राॅयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)/दस्तावेजीकरण विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। इसलिए, परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे इस सूचना में यथा निर्धारित अपनी पात्रता को सुनिश्चित करें।
11.1	ट्रायल परीक्षण :-
11.1.1	भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग करने पर, भर्ती बोर्ड प्रवेश-पत्र में उपलब्ध फोटो और हस्ताक्षर के साथ-साथ आधार कार्ड, मतदाता कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल आदि द्वारा जारी आईडी कार्ड जैसे फोटो युक्त पहचान प्रमाण से अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करेगा।
11.1.2	यदि प्रवेश-पत्र/ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध फोटो और हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, तो अभ्यर्थी से इसका कारण जाना जा सकता है।
11.1.3	भर्ती के दौरान, प्रतिरूपण से बचने के लिए, अभ्यर्थियों का बाॅयो-मैट्रिक (एलटीआई) पंजीकरण किया जाएगा। अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए भर्ती के आगामी चरणों अर्थात् चिकित्सा परीक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र में रिपोर्ट के समय बाॅयो-मैट्रिक पंजीकरण का उपयोग किया जाएगा।

11.1.4	सभी सफल पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को अपने संबंधित खेल कूद आयोजन में 20 अंकों का ट्रायल परीक्षण देना होगा। ट्रायल परीक्षण केवल आर्हता प्राप्त करने की प्रवृत्ति की होगी।
11.1.5	यद्यपि ट्रायल परीक्षण अर्हता प्रवृत्ति का है और अभ्यर्थी द्वारा दक्षता परीक्षण में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी, तथापि, सभी स्पर्धाओं के लिए ट्रायल परीक्षण में न्यूनतम कट-ऑफ अंक 10 अंक होंगे।
11.1.6	अभ्यर्थी जो ट्रायल परीक्षण में न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए एक अस्वीकृति पर्ची देकर बाहर कर दिया जाएगा।
11.1.7	ट्रायल परीक्षण को पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
11.2	दक्षता परीक्षण:
	ट्रायल परीक्षण में उत्तीर्ण घोषित सभी अभ्यर्थियों को खेलकूद स्पर्धा जिसके लिए उस महिला/पुरुष अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, में 40 अंकों के दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा। सभी स्पर्धाओं/खेलकूद के लिए दक्षता परीक्षण में न्यूनतम कटऑफ अंक 20 अंक होंगे जिसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाना होगा।
11.2.1	अभ्यर्थी जो दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए एक अस्वीकृति पर्ची दी जाएगी।
11.2.2	दक्षता परीक्षा के पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
11.3	शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)
11.3.1	ट्रायल एवं दक्षता परीक्षण में योग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) से गुजरना होगा।
11.3.2	अभ्यर्थियों के कद, सीने और वजन का माप अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे, उन्हें भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुमत किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से एक अस्वीकृति पर्ची देते हुए बाहर कर दिया जाएगा। तथापि, वजन (बॉडी मास इन्डेक्स यानी बीएमआई) के आधार पर चिकित्सा परीक्षण के समय ही बाहर किया जाएगा। शारीरिक मानकों को उपरोक्त पैरा 6.4 में विस्तार से दिया गया है।
11.3.3	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के अलावा, कद और सीने (जैसा मामला हो) में छूट उपरोक्त पैरा 6.4.1 में यथाउल्लिखित अभ्यर्थी के जिले जहां पर वह रह रहा है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक-‘VI’ में यथानिर्धारित प्रपत्र में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ ले सकते हैं।
11.3.4	वे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक मानकों अर्थात् कद और सीने में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो शारीरिक मापन में अपने चयन न किए जाने के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को एक अपील कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का मापन उसी दिन अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः मापन के लिए निर्धारित नई तिथि पर किया जाएगा। इस संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि महिला/पुरुष अभ्यर्थी निर्धारित मानक के तहत पाया जाता है, तो उसे चयन प्रक्रिया के अगले चयन में भाग लेने के लिए अनुमत किया जाएगा।
11.3.5	निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी अस्वीकृति पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। तथापि, वजन (बॉडी मास इन्डेक्स यानी बीएमआई) के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चिकित्सा परीक्षण के समय की जाएगी। शारीरिक मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
11.4	दस्तावेजीकरण :
	वे अभ्यर्थी जो ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/दस्तावेजीकरण और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में उत्तीर्ण होंगे उन्हें दस्तावेजीकरण से गुजरना होगा। अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।

		(i)	शैक्षिक प्रमाण पत्र (12वीं पास अथवा इसके समकक्ष)
		(ii)	जन्म प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)
		(iii)	अजा/अजजा और अपिब और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह कमश: अनुलग्नक -III, IV एवं V में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नहीं हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
		(iv)	गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और आदिवासी श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने कद और छाती में छूट देने के लिए अनुरोध किया है उन्हें अनुलग्नक -VI में दिए गए प्रपत्र/प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
		(v)	पैरा - 6.3 में उल्लिखित खेल उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र।
		(vi)	परिशिष्ट- 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के अनुसार, जैसा भी मामला हो, मान्यता प्राप्त परिसंघ/संघ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रपत्र)।
		(vii)	अनुलग्नक -VII में दिए गए प्रारूप के अनुसार, सरकारी/अर्द्ध-सरकारी विभागों में सेवारत व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
		(viii)	अभ्यर्थी की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिसपर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से अंकित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं हो)।
		(ix)	अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड जैसे फोटो युक्त पहचान पत्र के प्रमाण लाने चाहिए जो उसने आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित/प्रयोग किए हैं।
		(x)	अभ्यर्थी की पहचान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्रों से अधिकारियों के बोर्ड द्वारा ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी व दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के समय की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल (एलटीआई/आरटीआई/फिंगर्स इंप्रेशन) को परीक्षा से पहले पंजीकृत किया जाएगा जिसका उपयोग भर्ती के सभी आगामी चरणों में किया जाएगा।
	11.4.1		केओसुब अपने विवेक से भर्ती के दौरान या बाद के चरण में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रमाण-पत्र की वास्तविकता की जांच या सत्यापन कर सकता है और ऐसे सत्यापन/जांच के बाद केओसुब का निर्णय अंतिम होगा।
	11.4.2		दस्तावेजीकरण में अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
12	चिकित्सा परीक्षण :		
	12.1		केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ट्रायल परीक्षा, दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और दस्तावेजीकरण में अर्हता प्राप्त की है, उन्हें दक्षता परीक्षा में उनके प्रदर्शन और संबंधित प्रतिस्पर्धा में मेधावी खेल प्रमाणपत्र/उपलब्धियों वाले अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों (10 अंकों में से) के आधार पर विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से लगभग 2 (दो) गुना होगी।
	12.2		विभाग को प्रत्येक प्रतिस्पर्धा/प्रतियोगिता के लिए आबंटित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं/प्रतियोगिताओं से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न अर्हक अंकों को निर्धारित करने का विशेषाधिकार रहेगा।
	12.3		चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, दिनांक 20.05.2015 के गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी। तथापि, बुलावा पत्र भेजने और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन अंतिम रूप से हो गया है। अतः ऐसे आधार पर चयन का उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि अंतिम चयन मेरिट तथा

		रिक्तियों की उपलब्धता पर आधारित होगा।								
	12.4	अभ्यर्थियों को फिट अथवा अनफिट घोषित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा।								
	12.5	सभी मामलों में, अभ्यर्थी जिसे चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, को चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों के बारे में बताते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों का आरएमई, डीएमई के अगले दिन अधिमानतः डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति अभ्यर्थी द्वारा डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। समीक्षा चिकित्सा परीक्षा में समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।								
	टिप्पणी:	वर्णान्धता परीक्षण एक बार भर्ती के समय और बाद में बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान किया जाएगा।								
13.	अंतिम चयन सूची तैयार करना :									
	13.1	ट्रायल परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण पूरा होने के बाद, अंतिम चयन सूची अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर ही तैयार की जाएगी।								
	13.2	अभ्यर्थी को 01/01/2023 से 06/06/2025 की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए किसी एक उच्चतम मेडल के लिए (10 अंकों में से) अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि, किसी अभ्यर्थी ने एक विशेष खेल में एक से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं, उस मामले में उस महिला पुरुष/अभ्यर्थी को प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट/खेलकूद में प्राप्त केवल उच्चतम मेडल/स्थान के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे।								
	13.3	अलग-अलग अभ्यर्थियों के साथ-साथ टीम प्रतिस्पर्धाओं को नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगी:- <table><tr><td>क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप</td><td>ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप</td></tr><tr><td>1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता</td><td>1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता</td></tr><tr><td>2) द्वितीय रजत पदक विजेता</td><td>2) द्वितीय रजत पदक विजेता</td></tr><tr><td>3) तृतीय कांस्य पदक विजेता</td><td>3) तृतीय कांस्य पदक विजेता</td></tr></table>	क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता	2) द्वितीय रजत पदक विजेता	2) द्वितीय रजत पदक विजेता	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता
क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप									
1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता									
2) द्वितीय रजत पदक विजेता	2) द्वितीय रजत पदक विजेता									
3) तृतीय कांस्य पदक विजेता	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता									
	13.4	यदि टाई रहती है, तो कम उम्र के खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। यदि फिर भी टाई रहती है, अभ्यर्थी के अंग्रेजी में नाम को वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी।								
	13.5	भर्ती के किसी भी चरण में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देती है जब तक कि विभाग ऐसे सत्यापन के बाद संतुष्ट न हो जाए जिसे आवश्यक माना जा सकता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए हर तरह से उपयुक्त है।								
	13.6	परिणाम को केओसुब भर्ती वेबसाईट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in पर भर्ती के पूर्ण होने की तिथि के बाद उपयुक्त समय के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।								
	13.7	कोई भी प्रतिक्षा सूची नहीं बनाई/रखी जाएगी।								
	टिप्पणी-I	परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। भर्ती के प्रत्येक स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन होगा। यदि, ट्रायल <u>परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी/दस्तावेजीकरण</u> और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।								
	टिप्पणी-II	यदि, कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी आधार पर अयोग्य पाया/पाई जाता/जाती है या तथ्यों को छुपाता/छुपाती है, उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है।								
14.	निर्णय: पात्रता, आवेदनपत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए दण्ड, चयन के तरीकों, परीक्षाओं के आयोजन, भर्ती केन्द्रों का आवंटन मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।									

15.	न्यायालय क्षेत्राधिकार: इस भर्ती के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति न्यायालयों/अधिकरणों के अधीन होगी जिस शहर/कस्बा में संबंधित केओसुब भर्ती केंद्र स्थापित है और जहां पर अभ्यर्थी ने आवेदन किया है।	
16.	अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:	
16.1	आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना में दिए गए दिशा-निर्देशों अर्थात् शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षाओं, आयु, शारीरिक मानक, खेल-कूद की पात्रता आदि की आवश्यकताओं की बहुत सावधानी से जांच कर लेनी चाहिए और खुद को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं।	
16.2	पैरा-6.3 में यथा उल्लिखित किसी स्पर्धा/टूर्नामेंट/खेलकूद में प्रतिनिधित्व करने के लिए पुरुष/महिला अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर विचार उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में किया जाएगा।	
16.3	मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थिता को केवल अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणित नहीं पाया गया तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।	
16.4	वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा अन्य किसी छूट का परीक्षा की अधिसूचना के प्रावधानों के आधार पर आरक्षण का लाभ चाहते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उक्त आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब उनसे प्रमाण पत्र की प्रतियां अपेक्षित हों तो उनके अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में संबंधित प्रमाण-पत्र होने चाहिए।	
16.5	दिव्यांगजन/शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।	
16.6	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि पत्राचार ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।	
16.7	देय शुल्क : रु. 100/-(रु. एक सौ केवल)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।	
16.8	अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम बिल्कुल वैसा ही दर्ज करना होगा जैसा मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है।	
16.9	ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी फोटो जिस पर तिथि उल्लिखित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो), हस्ताक्षर और आयु एवं शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। फोटोग्राफ पर मुद्रित तिथि के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।	
16.10	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन केवल एक ही स्पर्धा के लिए जमा करें। यदि अभ्यर्थी एक या अधिक स्पर्धा के लिए आवेदन जमा करता है, तो पहले आवेदन की गई स्पर्धा पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।	
16.11	धुंधले/अपठनीय फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अथवा बिना तारीख के फोटोग्राफ वाले आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।	
16.12	अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने/देय शुल्क के बिना जमा करने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।	
16.13	एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। पोस्ट/फैक्स/ईमेल/हाथ आदि के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।	
16.14	जब आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें। 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।	
16.15	किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़त आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।	
16.16	अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी (केओसुब)/केओसुब केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा।	

		अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।
16.17		भर्ती के दौरान, "डोप नियंत्रण लागू किया जाएगा" । यदि कोई अभ्यर्थी स्पर्धा के दौरान किसी ऊर्जावान दवाई/औषधि आदि का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
16.18		अभ्यर्थी आवेदन भरने और ट्रायल/दक्षता/पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में किसी पूछताछ के लिए हेल्प लाइन नंबर 011-24366431/24307933 पर संपर्क कर सकते हैं।
16.19		भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 4-6 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।
16.20		यदि कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
16.21		यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वे उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
16.22		हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा कोई भी प्रमाण-पत्र, हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कर सत्यापित करके लगा होना चाहिए, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
16.23		किसी भी प्रकार का अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
16.24		उचित योग्यता, क्षमता, फिटनेस और संबंधित स्पर्धा/आयोजन और पात्रता का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
16.25		अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए आने से पहले ट्रायल/दक्षता परीक्षणों के लिए पर्याप्त अभ्यास करें। भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए केओसुब या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
16.26		कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए या किसी प्रतिरूपण का सहारा लेते हुए पाया गया तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई के जाएगी। अभ्यर्थी की नकल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ बीएनएस/आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भविष्य में होने वाली भर्तियों में आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।
16.27		दलाल के रूप में काम करने वाले या दलाल की मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ बीएनएस/आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
16.28		अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों में उपस्थित होना होगा जिसके लिए वे अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती के किसी भी चरण/कार्यक्रम से अनुपस्थित रहता है जिसके लिए उसने अर्हता प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
16.29		यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
16.30		केओसुब के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
16.31		विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
16.32		भर्ती प्रक्रिया के अंत में, चिकित्सा परीक्षण से गुजरना नियुक्ति की गारंटी नहीं देता है क्योंकि नियुक्ति का प्रस्ताव केवल आबंटित रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।
16.33		चयनित अभ्यर्थियों को केओसुब के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्हें नियुक्ति पत्र के प्रस्ताव के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

16.34	केओसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वोत्तम अभ्यर्थियों को कीर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे “दलालों से सावधान रहें”।
16.35	नियुक्ति का प्रस्ताव कीर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रकार, कीर्ती प्रक्रिया के किसी भी पिछले चरण (चिकित्सा परीक्षा सहित) में अर्हता प्राप्त करने से किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।
16.36	इस नोटिस में रेखांकित निर्देशों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दलालों से सावधान रहें। केओसुब में कीर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत कीर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पीओ) और संबंधित कीर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई-मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें।	

(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.	वन टाइम रजिस्ट्रेशन
II.	परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना
भाग -1 (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)	
अभ्यर्थी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा। केओसुब द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन 'पंजीकरण फॉर्म' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले निम्न सूचना/दस्तावेजों को तैयार रखें – (क) मोबाइल न. (ख) ई-मेल आईडी	
पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें :-	
1.	केओसुब की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2.	होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
3.	नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।
4.	वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:
	क. मूल विवरण ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण ग. घोषणा।
5.	'वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
क.	व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों में मेल नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक अलग संकेत बाक्स दिया जाएगा।
ख.	अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं। यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।
ग.	अपने पिता का नाम ठीक से भरें।
घ.	अपनी माता का नाम ठीक से भरें।
ङ.	अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है।
च.	अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें।
छ.	सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
ज.	अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।
झ.	अपना क्रियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी भरें। यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल-आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
ञ.	'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो 'फाइनल सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

ट	पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा।
ठ.	अपनी पंजीकरण-संख्या का "यूजरनेम" के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए "ऑटो-जेनरेटेड पासवर्ड" का उपयोग करके लॉगिन करें।
टिप्पणी	आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है। त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :
- क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे।
- ख) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ग) पीडीएफ प्रारूप में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां (01 एमबी से अधिक नहीं), उम्र के संबंध में (अर्थात् जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक / एसएसएलसी / 10 वीं प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य शैक्षणिक योग्यता की तारीख) अपलोड करें ।
2. केओसुब की आधिकारिक वेबसाइट <https://cisfrectt.cisf.gov.in> पर लॉग ऑन करें और अप्लाई पार्ट टैब पर क्लिक करें।
3. नया पृष्ठ खुलेगा और आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
4. पंजीकृत अभ्यर्थी केओसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात् <https://cisfrectt.cisf.gov.in> में पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अपने अनंतिम 'पंजीकरण आईडी और पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं।
5. नया पेज प्रदर्शित होगा और "केओसुब में प्रधान आरक्षक/जीडी (स्पोर्ट्स कोटा) के तहत खिलाड़ियों की भर्ती -2025" के बटन पर क्लिक करें।
6. "केओसुब में प्रधान आरक्षक/जीडी (स्पोर्ट्स कोटा) के तहत खिलाड़ियों की भर्ती -2025" के बटन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आवेदन पत्र होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा पहले भरा गया डेटा/विवरण, आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में स्वतः भर जाएगा। शेष खाली क्षेत्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें।
7. अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उसे नीचे की तरफ दो बटन "सेव एंड प्रीव्यू" और **बंद करें** दिखाई देंगे, यदि अभ्यर्थी **बंद** करें बटन पर क्लिक करता है तो वह आवेदन पत्र को संपादित कर सकेगा। कोई विवरण सहेजा नहीं जाएगा । ।
8. एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा।
9. उपरोक्त क्र.सं.-1(क) में यथा विनिर्दिष्ट, अपना हाल का फोटो अपलोड करें जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुरानी न हो) ।
10. क्रमांक संख्या- 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
11. आयु के प्रमाण के लिए मैट्रिक/एसएसएलसी/10वीं प्रमाणपत्र, वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा/12वीं प्रमाणपत्र, मूल निवास और कोई अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की स्कैन की हुई क्र.सं.-1(ग) में यथा विनिर्दिष्ट, प्रति अपलोड करें ।

12. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें।
13. अब 'भुगतान' विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि आप शुल्क छूट के पात्र हैं और उन्हें 'आवेदन प्रिंट करें' का विकल्प मिलेगा।
14. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
15. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और कैंडिडेट को भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।
16. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं। उन्हें पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अपनी पात्रता के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट जमा करना होगा।

चेतावनी :

- (क) अभ्यर्थियों को सभी पंजीकृत डेटा को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए। यदि किसी डेटा का गलत उल्लेख किया गया है, तो उसे 'संपादित करें' बटन पर क्लिक करके संपादित किया जा सकता है।
- (ख). "सबमिट" बटन पर क्लिक करने पर, अब तक दर्ज किया गया डेटा/विवरण सर्वर में सहेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी "संपादित करें" बटन पर क्लिक करता है, तो डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा और अभ्यर्थी पंजीकरण विंडो/प्रक्रिया से बाहर निकलने में सक्षम होगा।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति केलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री श्री गाँव/नगर* जो जिला/खंड* राज्य/संघ शासित क्षेत्र* जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में की गई है :-		
@संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950		
@संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950		
@संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951*		
@'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951* (जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियों (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथासंशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)		
@संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956		
@संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962		
@संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962		
@'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964		
@संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967		
@'संवैधानिक (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968		
@संवैधानिक (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968		
@संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970		
@संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978		
@संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978		
@संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989		
@'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990'		
@संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991		
@संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अ अधिनियम, 1991		
@'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002		
@संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002		
@संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002		
@संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002		
@संवैधानिक (अंठमान व निकोवार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित।		
2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों।		
यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती* को, श्री/श्रीमती/कुमारी* के पिता/माता गाँव/नगर* जिला/खंड* राज्य/संघ शासित क्षेत्र* के सामान्य निवासी हैं जो कि जाति/जनजाति* से संबंधित हों जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए (जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या दिनांक को जारी किया गया है।		
3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/अथवा* /उसका* परिवार सामान्य रूप से गाँव/नगर* जिला/खंड* राज्य/संघ शासित क्षेत्र* .. में रहते हैं।		
स्थान		हस्ताक्षर
दिनांक		**पदनाम (कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/संघ शासित प्रदेश
*जो शब्द लागू न हो वे हटा दिए जाएं। @कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का 'संदर्भ दें । % उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो । टिप्पणी : यहाँ सामान्यतः रहता है / रहते हैं शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है। **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिब के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची। (i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/+सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो) (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो । (iv) उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं। (v) प्रशासक/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) के प्रशासक/सचिव टिप्पणी:-तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।		

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री, श्री.....
गांव/नगर.....जिला/प्रभाग.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....केसमुदाय से
संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्यादिनांक.....* के
तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/अथवा उनका/उनके परिवार राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के
जिला/मंडल.....में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुरुष/महिला, कार्मिक और
प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित
व्यक्तियों/वर्गों (क़ीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि
(कार्यालय की मोहर सहित)

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी :- यहां "सामान्य" शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

.....सरकार
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं.....

दिनांक.....

.....वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम/गली.....
.....डाकघरजिला.....पिन कोड.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
.....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उस पुरुष/महिला के परिवार** की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वर्षके लिए 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। उस पुरुष/महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति*** नहीं है :-

I.5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषियोग्यभूमि;

II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

अभ्यर्थी का पासपोर्ट
आकार का नवीनतम
सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित.....

नाम.....

#पदनाम.....

* नोट : 1. आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

**नोट : 2. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उस पुरुष/महिला के माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार" की संपत्ति को एकीकृत किया गया है।

आय एवं परिसंपत्ति के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- (i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- (iv) उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में अभ्यर्थी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्य रूप से निवास करते हैं।

कद अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारीपुत्र/पुत्री, श्रीगांव.....
तहसील/तालुका.....जिला.....राज्य..... के स्थायी निवासी हैं।

2.यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- १.अभ्यर्थी पहाड़ी क्षेत्रों जैसे गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं, डोंगरा, मराठा और आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला है।
- २.उपर्युक्त पुरुष/महिलाआदिवासी जाति से संबंध रखते हैं।

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

स्थान :
दिनांक :

(१) जो लागू न हो उन्हें हटा दें।

के.औ.सु.ब. कार्मिकों सहित सरकारी विभागों/उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

‘प्रमाणित किया जाता है कि:-

- १.श्री/कुमारी/श्रीमती.....केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अंतर्गत
...के रैंक में एक स्थायी/अस्थायी पद धारक हैं।
- २.इन्होंने.....को इस विभाग/अधिकारी के पास अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
- ३.श्री/कुमारी/श्रीमती.....का केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति हेतु चयन होने पर उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान :
दिनांक:.....

कार्यालय मोहर के साथ
कार्यालय/विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

टिप्पणी : सरकारी सेवा में पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन-पत्र उपर्युक्त प्रमाण-पत्र के साथ उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

Specimen of Photographs

Acceptable Photograph



Samples of photographs which are not acceptable

Extra Colour



Too close



With hat/cap



Blur Photographs



Inverted



Too dark



With goggles



Facing Sideways



Too Small



With spectacles



टिप्पणी : फोटोग्राफ लेने की तिथि फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से प्रिंट होनी चाहिए। बिना तिथि के फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रपत्र-1

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद गतिविधियों में से किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)
.....का राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार हेतु एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... निवासी.....
.....(पूरा पता) ने देश का प्रतिनिधित्व दिनांक..... से
.....तक.....में संपन्न हुईप्रतियोगिता/टूर्नामेंट में किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थानरहा।

यह प्रमाण पत्रके राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ का नाम.....

पता.....

मोहर.....

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

प्रपत्र-2

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत के एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.....के खेल मेंका एक राज्य फेडरेशन।

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....
निवासी.....(पूरा पता) ने दिनांक.....से
तक.....में संपन्न हुईप्रतियोगिता/टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थानथा।

यह प्रमाण पत्रराज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

राज्य संघ का नाम.....

पता.....

मोहर.....

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य संघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

प्रपत्र-3

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक स्पर्धा में अन्तर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एक विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.....विश्वविद्यालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... निवासी..

.....(पूरा पता) ने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व

दिनांक.....से.....तक.....में संपन्न हुईप्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट

मेंखेल/स्पर्धा में किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थानथा।

यह प्रमाण पत्रविश्वविद्यालय में समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विश्वविद्यालय का नाम.....

पता.....

मोहर.....

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसेविश्वविद्यालय के खेलों के समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

प्रपत्र-4

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक में विद्यालय के लिए राष्ट्रीय खेलों में राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.....राज्य का लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... निवासी.....

.....(पूरा पता) ने दिनांक.....से.....तक.....

.....में आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलों में.....खेल/स्पर्धा मेंराज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थानथा।

यह प्रमाण पत्रलोक अनुदेशक/निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

मोहर.....

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य के लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल/खेलकूद के समग्र प्रभार के निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

CBC 19113/11/0002/2526